स्वर्ण जयंती
शहरी रोजगार योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

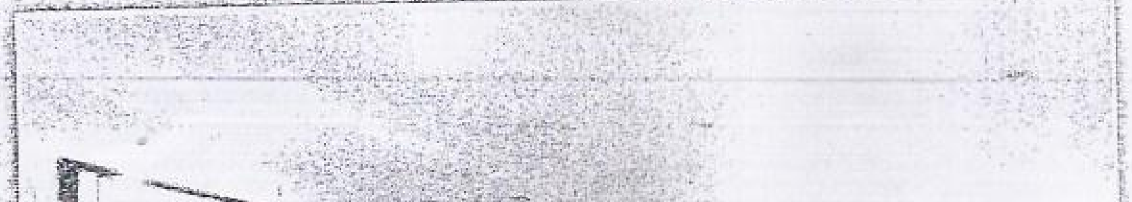

शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

2.3 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

कार्यकारी सार

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी (दिसम्बर 1997) थी। तत्पश्चात्, योजना नए स्वरुप में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से लागू की गयी (सितम्बर 2013)। वर्ष 2010–14 के मध्य में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में ₹ 402.10 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया था। योजनाओं का वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 के आधार पर था। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (अवधिः 2010–14) एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (अवधिः 2014–15) की निष्पादन लेखापरीक्षा में 19 जनपदों को आच्छादित किया गया था। हमारे निष्कर्ष निम्नवत हैं:

वित्तीय

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत ₹ 620.42 करोड़ के कुल आबंटन के सापेक्ष दोनों सरकारों द्वारा मात्र 70 प्रतिशत धनराशि ही अवमुक्त की गयी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–14 के मध्य अपने अंश के आबंटन का मात्र 45 प्रतिशत ही उपलब्ध कराया गया। राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा "शहरी गरीबों की जनसंख्या" के बजाय "कुल शहरी जनसंख्या" के आधार पर जनपद स्तरीय अभिकरणों को धनराशि आबंटित किये जाने के परिणामस्वरुप कम शहरी गरीब जनसंख्या वाले जनपदों को अधिक धनराशि तथा अधिक शहरी गरीबों की संख्या वाले जनपदों को कम धनराशि आबंटित की गयी।

(प्रस्तर 2.3.6.1)

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–14 के मध्य, उपलब्ध धनराशि का मात्र 33 से 56 प्रतिशत उपभोग किया गया जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभाग के अपर्याप्त प्रदर्शन को दर्शाता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में ₹ 206.50 करोड़ की धनराशि की उपलब्धता के बाद भी कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि योजना तब तक नियोजन स्तर पर ही थी जिससे शहरी गरीबों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।

(प्रस्तर 2.3.6.2)

- राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा अवशेष धनराशि का घटकवार विस्तृत विवरण का रखरखाव भी नहीं किया गया था तथा नगरीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम एवं नगरीय समुदाय विकास नेटवर्क से धनराशि व्यायावर्तित कर शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण, नगरीय स्व–रोजगार कार्यक्रम तथा नगरीय महिला स्व–सहायता कार्यक्रम पर बिना अनुमोदन प्राप्त किये अधिक धनराशि व्यय की गयी, जिससे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 2.3.6.3)

(2)

नियोजन

• स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में नियोजन अधिकांशतः अस्तित्व में नहीं था क्योंकि लाभार्थियों की पहचान के लिए कोई स्लम सर्वेक्षण नहीं किया गया था और स्लम विकास प्लान तथा शहरी गरीबी उन्मूलन रणनीति भी नहीं बनायी गयी थी। लाभार्थियों का व्यापक डाटाबेस नहीं था तथा लाभार्थियों के चिन्हींकरण में सहायता करने एवं समावेश सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठों को स्थापित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.3.7.1 से 2.3.7.3 तक)

कार्यक्रम क्रियान्वयन

शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क का सृजन

• सामुदायिक संरचनाओं जिनका शहरी गरीबी को दूर करने एवं जमीनी स्तर पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन में सहायता के लिए शहरी गरीबों को संगठित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे परिवेश दलों, परिवेश समितियों एवं सामुदायिक आयोजकों को नमूना जाँच किये गये अधिकांश जनपदों में स्थापित/शामिल नहीं किया गया था। इससे योजना के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 2.3.8.1)

शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण

• वर्ष 2010–14 के मध्य नमूना जाँच किये गये जनपदों में ₹ 10.18 करोड़ की धनराशि की उपलब्धता के उपरान्त भी, 1.42 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 60 प्रतिशत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

(प्रस्तर 2.3.8.2 (ii))

• टूल–किट्स लाभार्थियों को अपने स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायक हो सकती थीं जबकि योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत नमूना जाँच के 14 जनपदों में 24,832 लाभार्थियों (46 प्रतिशत) के कौशल प्रशिक्षण के उपरान्त टूल–किट्स उपलब्ध नहीं कराये गये थे। नमूना जाँच के चार जनपदों में 7,053 सफल लाभार्थियों को ₹ 1.69 करोड़ का मानदेय वितरित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.3.8.2 (v))

• नमूना जाँच किये गये जनपदों में 85,109 लाभार्थियों को निजी संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने पर ₹ 59.08 करोड़ का व्यय किया गया, परन्तु उनमें से मात्र 12 प्रतिशत को ही रोजगार/स्व–रोजगार प्राप्त हो सका।

(प्रस्तर 2.3.8.2 (vi))

शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम

• अनुदानित ऋण उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत, लक्ष्यों की प्राप्ति में 15 प्रतिशत की कमी थी। 30 प्रतिशत के मानक के सापेक्ष केवल 10 प्रतिशत महिलाओं को ऋण दिया गया।

(प्रस्तर 2.3.8.3)

• 15 जनपदों में लेखापरीक्षा को जाँच हेतु उपलब्ध करायी गयी 926 ऋण

स्वीकृतियों में 43 प्रतिशत प्रकरण अनियमित पाये गये क्योंकि अपात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किये गये थे। इस तरह की अनियमित स्वीकृतियां मुख्यतः अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, सहारनपुर एवं वाराणसी जनपदों में अधिक थीं।

(प्रस्तर 2.3.8.3 (i))

शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम

- शहरी गरीब महिलाओं की स्वयं–सहायता समूहों को लाभदायक स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए, 1.07 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 29 प्रतिशत लाभार्थियों को अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया गया था। अपात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने के प्रकरण भी प्रकाश में आये।

(प्रस्तर 2.3.8.4 (i) और (ii))

शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

- वर्ष 2010–14 के मध्य, सामग्री–श्रम अनुपात 60:40 प्रतिशत का अनुपालन नहीं करने के कारण, मजदूरी रोजगार में 5.31 लाख श्रम–दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 3.91 लाख श्रम–दिवस मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया गया, परिणामस्वरुप 26 प्रतिशत की कमी रही।

(प्रस्तर 2.3.8.5 (i))

2.3.1 प्रस्तावना

स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना अथवा मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करके शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार वाले गरीबों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी (दिसम्बर 1997)। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में दो घटक यथा शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम तथा शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम शामिल थे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को अप्रैल 2009 में तीन और घटकों, शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम, शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण एवं शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क को शामिल करके संशोधित किया गया था।

वर्ष 2009 के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- शहरी बेरोजगारों/अल्प रोजगार वाले गरीबों को, उनके भरण–पोषण के लिए सहायता उपलब्ध कराकर स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके, लाभप्रद रोजगार के माध्यम से शहरी गरीबी का उपशमन करना;
- कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता करना, जिससे शहरी गरीब, बाजार द्वारा दिये गये रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें अथवा स्व–रोजगार शुरु कर सकें; और
- स्व–प्रबन्धित सामुदायिक संरचनाओं के माध्यम से शहरी गरीबी के मुद्दों का समाधान करने के लिए समुदाय को अधिकार देना *(परिशिष्ट 2.3.1)*।

शहरी गरीबी बहुआयामी थी, अतः विभिन्न असुरक्षाओं (पेशागत, आवासीय एवं सामाजिक) जिनका शहरों एवं नगरों में गरीबों द्वारा सामना किया जा रहा था को एक साथ समावेशी एवं समग्र तरीके से असुरक्षित समूहों पर लक्ष्य केन्द्रित करते हुए ध्यान

दिया जाना आवश्यक था। इस सन्दर्भ में शहरी आजीविका के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रुप में मिशनमोड प्रस्ताव अपनाया जाना आवश्यक था। इस ए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रुप में पुनःपरिभाषित (सितम्बर 2013) की गयी तथा अप्रैल 2014 में लागू की गयी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छः कार्यक्रम हैं जिसका विस्तृत विवरण *परिशिष्ट 2.3.2* में है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य वित्त पोषण 75:25 का था।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर जिम्मेदार थे। योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण, जनपद स्तर पर जिला नगरीय विकास अभिकरण, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ एवं नीचे स्तर पर सामुदायिक विकास समितियों एवं अन्य सामुदायिक संरचनाओं जैसे मोहल्ला आदि के माध्यम से किया जाना था। राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण योजना की गतिविधियों के नियोजन, समन्वय, क्रियान्वयन, वित्तीय नियंत्रण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार थे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क घटक के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों *(परिशिष्ट 2.3.3)* में विकसित परिवेश समूहों, परिवेश समितियों द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी, सामुदायिक समितियों के समन्वय तथा परियोजना निदेशक (जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी) की सहायता से जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी जिम्मेदार थे।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- योजना का वित्तीय प्रबन्धन सही था तथा धनराशि पर्याप्त, समय से एवं शहरी गरीबों की जनसंख्या के समानुपात में अवमुक्त की गयी थी; तथा उसी अनुरूप उपभोग की गयी थी;

- नियोजन पर्याप्त था, लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए उचित सर्वेक्षण किया गया था तथा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नगरीय सामुदायिक विकास नेटवर्क सुदृढ़ किया गया था;

- समस्त चिन्हित पात्र लाभार्थियों को बाजार में उभरते अवसरों को प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया गया एवं उन्हें अपना स्वयं का स्व–रोजगार उद्यम शुरु करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक टूल–किट्स उपलब्ध कराया गया था;

- स्व–रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार लक्षित पात्र लाभार्थियों को ऋण एवं अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी; तथा महिलाओं एवं अन्य वंचित समूहों को पर्याप्त रुप से आच्छादित किया गया था;

- नगरों/शहरों में प्रयोग होने वाली सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन के माध्यम से शहरी गरीबों हेतु पर्याप्त मज़दूरी रोजगार का सृजन किया गया था; एवं
- प्रभावी अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि उपलब्ध थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा के मापदण्डों के स्रोत निम्नलिखित थेः

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा–निर्देश, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं नोडल अभिकरणों द्वारा राज्य एवं जनपद स्तरों पर निर्गत आदेश/परिपत्र;
- अनुदान प्रबन्धन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश; एवं
- वित्तीय नियम, लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियाँ एवं दिशा–निर्देश।

2.3.5 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के साथ दिनांक 06 फरवरी 2015 को परिचयात्मक गोष्ठी आयोजित की गयी थी; जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गयी, जिसे स्वीकार किया गया। सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम विभाग, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ एवं बिना प्रतिस्थापन के समानुपातिक प्रायिकता विधि से चयनित 19 जिला नगरीय विकास अभिकरणों[1] की वर्ष 2010–15 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। राज्य नगरीय विकास अभिकरण एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण के वर्ष 2010–15 की अवधि के स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा फरवरी 2015 से जून 2015 के मध्य की गयी। लाभार्थियों का साक्षात्कार एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के साथ दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को समापन गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें तथ्यों, आँकड़ों एवं लेखापरीक्षा द्वारा की गयी अनुशंसा को स्वीकार किया गया। समापन गोष्ठी के परिणामों एवं शासन से प्राप्त उत्तर को उपयुक्त रुप से समावेशित कर लिया गया (नवम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.6 वित्तीय प्रबन्धन

2.3.6.1 धनराशि का आबंटन एवं अवमुक्त किया जाना

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्यों को धनराशि का आबंटन, शहरी गरीबों की संख्या के आधार पर किया जाना था, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की धनराशि का अंश 75:25 होना था। राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने एवं राज्य सरकार द्वारा अनुपाती अंश अवमुक्त करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा अनुवर्ती किश्तें जारी की जानी थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 के मध्य वर्षवार धनराशि का आबंटन एवं निर्गमन सारणी 1 में दिया गया है।

[1] आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बरेली, चित्रकूट, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, कानपुर नगर, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, सोनभद्र एवं वाराणसी।

सारणी 1: वर्ष 2010–15 के मध्य वर्षवार आबंटन एवं अवमुक्त का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आबंटन		अवमुक्त धनराशि		कुल उपलब्ध धनराशि	राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा अवमुक्त (प्रतिशत)
			भारत सरकार	राज्य सरकार	भारत सरकार	राज्य सरकार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना								
1.	2010-11	109.85	72.24	25.00	72.25	22.67	204.77	106.59 (52)
2.	2011-12	90.95	111.19	43.76	111.19	43.76	245.90	81.79(33)
3.	2012-13	165.57	93.37	145.00	46.69	15.55	227.81	83.27(37)
4.	2013-14	143.99	93.48	36.38	93.93	30.78	268.70	117.48(44)
		योग	370.28	250.14	324.06	112.76		389.13
भारत सरकार एवं राज्य सरकार का योग			620.42		436.82			389.13
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन								
5.	2014-15	144.57	157.98	24.16	46.45	15.48	206.50	33.99 (16)
		कुल योग	528.26	274.30	370.51	128.24		423.12

(स्रोतः राज्य नगरीय विकास अनिकरण, लखनऊ)

हमने पाया किः

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम धनराशि अवमुक्त की गयी

(i) वर्ष 2010–14 के मध्य, दोनों सरकारों द्वारा कुल आबंटन ₹ 620.42 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹ 436.82 करोड़ (70 प्रतिशत) ही अवमुक्त किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा आबंटित अंश में से 87.52 प्रतिशत अवमुक्त किया गया तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने अंश के आबंटन का केवल 45 प्रतिशत ही चार वर्ष की अवधि में अवनुक्त किया गया था। ऐसा राज्य तथा जनपद स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने एवं आबंटित धनराशि का उपयोग करने में ढिलाई के कारण हुआ।

(ii) सामान्य वित्तीय नियम के नियम 215 के प्रतिकूल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के मध्य राज्य सरकार द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण को ₹ 39.40 करोड़, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च 2015 को अवमुक्त किया गया।

शहरी गरीबी जनसंख्या के अनुपात में राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी

(iii) भारत सरकार द्वारा धनराशि का आबंटन शहरी गरीबी जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जबकि राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरणों को धनराशि का आबंटन कुल शहरी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। इसके फलस्वरुप, कुछ नमूना जाँच किये गये जनपदों जैसे गाजियाबाद में, शहरी गरीबों की कम जनसंख्या होते हुए भी अधिक धन आबंटित किया गया वहीं दूसरी तरफ, अधिक शहरी गरीब जनसंख्या वाले जनपद जैसे अम्बेडकर नगर में कम धनराशि प्रदान की गयी जैसा कि *(परिशिष्ट 2.3.4)* में विवरण दिया गया है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण धन आबंटन शहरी जनसंख्या के आधार पर किया गया था।

2.3.6.2 धनराशियों का उपयोग

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 के मध्य वर्षवार धनराशियों का निर्गमन एवं उपयोग सारणी 2 में दिया गया है :

सारणी 2: वर्ष 2010–15 के मध्य वर्षवार धनराशि के उपयोग का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त कुल धनराशि	राज्य नगरीय विकास अभिकरण के पास उपलब्ध कुल धनराशि	व्यय (प्रतिशत)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण के पास उपलब्ध अंतिम अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
			स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना			
1.	2010-11	109.85	94.92	204.77	113.82 (56)	90.95
2.	2011-12	90.95	154.95	245.90	80.33(33)	165.57
3.	2012-13	165.57	62.24	227.81	83.82(37)	143.99
4.	2013-14	143.99	124.71	268.70	124.13(46)	144.57
		योग	436.82		402.10	
			राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
5.	2014-15	144.57	61.93	206.50	00.00	206.50
		कुल योग	498.75		402.10	

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में वर्ष 2010–14 के मध्य ₹ 204.77 करोड़ से ₹ 268.70 करोड़ की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 33 प्रतिशत से 56 प्रतिशत का व्यय किया गया था तथा वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन में ₹ 206.50 करोड़ धनराशि उपलब्ध रहने के बाद भी कोई व्यय नहीं किया गया था।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रेषण समय से नहीं किया गया

हमने यह भी पाया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा समय अवधि में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरुप वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा ₹ 46.68 करोड़ अवमुक्त नहीं किया गया; तथा, ₹ 155.61 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रेषण नंवम्बर 2015 तक लम्बित था *(परिशिष्ट 2.3.5)*।

शासन द्वारा आपत्ति पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

2.3.6.3 योजना उपघटकों के मध्य धनराशि का व्ययावर्तन

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन में भारत सरकार द्वारा योजना के प्रत्येक उपघटकों के समानुपाती अंश के प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख किया गया था तथा राज्य सरकार को योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित आबंटन के अनुपालन की सलाह दी थी। योजना घटकों के आबंटन अनुपात में किसी परिवर्तन हेतु भारत सरकार का अनुमोदन अनिवार्य था।

हमने पाया कि, 2010–13 के मध्य, राज्य नगरीय विकास अभिकरण ने योजना के घटकों के आबंटन प्रतिशत में वृहद विचलन किए थे परन्तु भारत सरकार से औचित्य

ज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा धनराशि के व्यावर्तन का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था व उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रेषण समय से नहीं किया गया

के साथ अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन प्रतिशत से अधिक धनराशि का आबंटन राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा नगरीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम एवं नगरीय समुदाय विकास नेटवर्क योजनाओं से व्यावर्तन करके, शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने हेतु कौशल प्रशिक्षण, शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम तथा शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम में किया गया था जैसा *परिशिष्ट 2.3.6.* में दिया गया है। यह भी पाया गया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा अवशेष धनराशियों का घटकवार रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि घटकवार समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा सम्पूर्ण वार्षिक आबंटन हेतु भारत सरकार को एक समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित न करके पर्याप्त विलम्ब से टुकड़ों में छोटी–छोटी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया जिसके कारण भारत सरकार द्वारा प्रतिशत आबंटन में विचलन का अनुश्रवण राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्र से सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त राज्य नगरीय विकास अभिकरण को आबंटन में किये गये विचलन का औचित्य के साथ भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना था।

2.3.6.4 अर्जित ब्याज का लेखांकन न करना

₹ 49.59 करोड़ के अर्जित ब्याज को न तो भारत सरकार को सूचित किया गया और न ही सम्बन्धित आबंटन में समायोजित किया गया था

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि आबंटन के समय, भारत सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित था कि धनराशि बचत खाते में रखी जानी थी तथा अर्जित ब्याज या तो अगले वर्ष के आबंटन में समायोजित की जानी थी या भारत सरकार को वापस की जानी थी। हमने पाया कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की वर्ष 1997–2015 के मध्य विभिन्न बैंक के बचत खातों में रखी गयी अनुपयोगी धनराशि पर ₹ 49.59[2] करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था *(परिशिष्ट 2.3.7)*। राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा न तो ब्याज की धनराशि को वापस किया गया और न ही आगामी आबंटनों में समायोजन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार को सूचित किया गया।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ब्याज की धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनुवर्ती आबंटनों पर अर्जित ब्याज की धनराशि के समायोजन या भारत सरकार को वापसी का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अनुशंसा: उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अर्जित ब्याज का लेखांकन किया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय से भारत सरकार को प्रेषित किया जाये।

2.3.7 नियोजन

हाउस होल्ड, मलिन बस्ती तथा आजीविका सर्वेक्षणों के द्वारा लाभार्थियों एवं मलिन बस्तियों के समूहों की पहचान करना एवं शहरी गरीबी उन्मूलन प्लान, मलिन बस्ती विकास प्लान एवं सामुदायिक स्तर पर माइक्रो–प्लान तथा मिनी–प्लान तैयार करना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक था। स्थानीय निकायों को अपने नगरीय

[2] वर्ष 1997–2015 के मध्य समय–समय पर बचत बैंक खातों पर लागू ब्याज की गणना पूर्ण वर्ष में उपलब्ध कम से कम धनराशि पर की गयी थी।

(9)

गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ के द्वारा सर्वेक्षण कार्य करना था। सामुदायिक संरचनायें जैसे परिवेश दलों, परिवेश समितियों एवं सामुदायिक विकास समितियों को शामिल कर नगरीय गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जाना था।

2.3.7.1 लाभार्थियों का चिन्हीकरण

भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों का चिन्हींकरण करने एवं मलिन मुक्त/गरीबी मुक्त शहरी कार्य योजना तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के उपयोग हेतु डाटा बेस बनाने के लिए मलिन, कुटुम्ब तथा आजीविका सर्वेक्षण[3] हेतु निर्देश (फरवरी 2008) तथा ₹ 4.47 करोड़[4] की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को अवमुक्त की गयी थी।

हमने पाया कि 10 अगस्त 2009 तक सर्वेक्षण पूर्ण करके सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य नगरीय विकास अभिकरण को मार्च 2011 तक ऑनलाइन फीडिंग तथा डाटाबेस तैयार करने हेतु उपलब्ध कराने के लिये, राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरणों को ₹ 2.59 करोड़ (अप्रैल 2008 से मार्च 2010) अवमुक्त किया गया था। राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा सर्वेक्षण आंकड़ों की ऑनलाइन फीडिंग व डाटाबेस बनाने का कार्य मेसर्स अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ को प्रदान किया गया था (अगस्त 2010) व कार्य मार्च 2011 तक समाप्त करना था।

मलिन बस्ती का सर्वेक्षण नहीं किया गया था एवं लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2015 तक मलिन बस्ती सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया था एवं नमूना जाँच किये गये जनपदों में कुटुम्ब तथा आजीविका सर्वेक्षण, 9 माह (सोनभद्र) से 66 माह (झांसी) विलम्ब से पूर्ण किया गया था। यह भी पाया गया कि जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा ज्यादातर स्थानों में स्थानीय निकायों तथा सामुदायिक संरचनाओं जैसे सामुदायिक विकास समिति का सहयोग लिए बिना सीधे गैर सरकारी संगठनों से कुटुम्ब तथा आजीविका का सर्वेक्षण सम्पादित कराया गया। परिणामस्वरुप, ₹ 3.32 करोड़[5] के व्यय के उपरान्त भी शहरी गरीबों का एक विस्तृत डाटाबेस मार्च 2015 तक तैयार नहीं हो सका था।

इस प्रकार, राज्य नगरीय विकास अभिकरण/जिला नगरीय विकास अभिकरण की शिथिलता के कारण लाभार्थियों के चिन्हीकरण में विलम्ब हुआ तथा डाटाबेस तैयार नहीं हो सका, इससे ₹ 3.32 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा ।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि मलिन बस्ती पार्श दृश्य का प्रारुप उपलब्ध न होने के कारण, ऑनलाइन डाटा फीडिंग नहीं की गयी थी तथा कुटुम्ब एवं आजीविका सर्वेक्षण के आँकड़े संकलित किये गये थे व उसका उपयोग किया जा रहा है। उत्तर तथ्य के आलोक में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मलिन बस्ती सर्वेक्षण न करने एवं कुटुम्ब तथा आजीविका सर्वेक्षण के आंकड़ों की फीडिंग न करने से विस्तृत डाटाबेस तैयार नहीं किया जा सका था। फलस्वरुप, लाभार्थियों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थी।

---

[3] मलिन बस्ती सर्वेक्षण: शहरी सीमा के अन्तर्गत अधिसूचित/गैर अधिसूचित समस्त मलिन क्षेत्र की सूचना, कुटुम्ब सर्वेक्षण: सर्वेक्षण हेतु निर्धारित मलिन क्षेत्र के समस्त कुटुम्ब की सूचनाएं; और आजीविका सर्वेक्षण : कुटुम्ब के समस्त सदस्यों की सूचना।

[4] सितम्बर 2008: ₹ 45.00 लाख, मार्च 2009: ₹ 39.00 लाख, जुलाई 2009: ₹ 115.00 लाख, मार्च 2010: ₹ 33.31 लाख, सितम्बर 2010: ₹ 104.00 लाख, मार्च 2011: ₹ 50.63 लाख, तथा मार्च 2012 ₹ 60.00 लाख।

[5] सर्वेक्षण पर हुआ व्यय ₹ 3.32 करोड़ (जनपदों द्वारा: ₹ 1.98 करोड़ एवं अपट्रान को भुगतान ₹ 1.34 करोड़)।

(101

अनुशंसा: मलिन क्षेत्रों के सर्वेक्षण पश्चात व्यापक डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिये जिससे कि वास्तविक लाभार्थियों को पहचानने एवं लाभ प्रदान करने की क्रियाविधि विकसित की जा सके।

2.3.7.2 संदर्श/मलिन बस्ती विकास योजनायें न बनाया जाना

योजना दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 8.5 के अनुसार राज्य में मलिन बस्ती के पूर्ण विकास हेतु, समुदाय स्तरीय लघु योजना, जनपद स्तर पर मलिन विकास योजना व समुदाय स्तरीय सूक्ष्म योजना तथा शहरी गरीबी उन्मूलन रणनीति (दीर्घकालिक योजना) राज्य नगरीय विकास अभिकरण स्तर पर बनाया जाना था।

लाभार्थियों को चिन्हित किये बिना और संदर्श या विकास योजना बनाये बिना स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया गया था

जिला नगरीय विकास अभिकरणों एवं राज्य नगरीय विकास अभिकरण की नमूना जाँच में हमने पाया कि वर्ष 2010–14 के मध्य समुदाय स्तरीय लघु योजना, स्लम विकास योजना व समुदाय स्तर सूक्ष्म योजना जनपद स्तर पर तथा शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यनीति (दीर्घकालिक योजना) राज्य नगरीय विकास अभिकरण स्तर पर नहीं बनायी गयी थी। इस प्रकार नमूना जाँच जनपदों में लाभार्थियों का समुचित चिन्हींकरण तथा किसी स्तर पर दीर्घकालिक एवं विकास योजना बनाये बिना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया गया था। इस कारण योजना क्रियान्वयन, अयोग्य लाभार्थियों को लाभ प्रदान करके, स्वयं–सहायता समूहों का अनुचित चिन्हींकरण करके, वास्तविक आवश्यक सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण की पहचान न करके एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु अनुचित ट्रेड की पहचान करने इत्यादि से विपरीत रुप से प्रभावित हुयी।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि जनपदों की शासी निकाय की बैठक में योजना क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना वित्तीय वर्ष के मध्य बनायी गयी थी। शासन के उत्तर से स्पष्ट था कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सामुदायिक संरचनाओं की सहभागिता से समुचित सर्वेक्षण के आधार पर दीर्घकालिक योजना नहीं बनायी गयी थी तथा योजना का क्रियान्वयन तदर्थ रुप में जिला नगरीय विकास अभिकरण की शासी निकाय के निर्णय के आधार पर किया गया था।

अनुशंसा: योजना के प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन के लिये संदर्श एवं मलिन विकास योजना तैयार की जानी चाहिये।

2.3.7.3 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ का गठन न किया जाना

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 9.3 के अनुसार शहरी गरीबी समूह की पहचान; समुदाय संरचनाओं की स्थापना; समुदायिक विकास सोसायटी, शहरी स्थानीय निकाय व श्रेणी विभागों के मध्य सम्मिलन, शहरी स्थानीय निकायों के गरीबी उप–प्लान बनाने में सहायता, शहरी गरीबों हेतु बजट बनाने, मलिन, कुटुम्ब तथा आजीविका सर्वेक्षण करने, विभिन्न योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चिन्हींकरण इत्यादि के लिए शहरी स्थानीय निकायों स्तर पर नगर निगम/नगर निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी के अधीन शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ का गठन किया जाना था।

हमने पाया कि नमूना जाँच जनपदों में योजना दिशा–निर्देशों के विपरीत शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ का गठन (मार्च 2014) नहीं हुआ था जिसके कारण शहरी स्थानीय निकाय, योजना क्रियान्वयन में प्रभावी रुप से सम्मिलित नहीं हो सके।

शासन द्वारा बताया (नवम्बर 2015) गया कि जिला नगरीय विकास अभिकरण, शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ की तरह कार्यरत थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शहरी निकाय स्तर पर शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ गठित नहीं हुआ था। परिणामस्वरुप समुदाय विकास समिति, शहरी स्थानीय निकाय व सम्बन्धित विभागों के क्रियाकलापों के मध्य सम्मिलन सुनिश्चित नहीं किया गया था और शहरी स्थानीय निकायों को नियोजन व लाभार्थियों के चिन्हींकरण में सम्मिलित नहीं किया गया था।

2.3.8 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का क्रियान्वयन

2.3.8.1 नगरीय सामुदायिक विकास नेटवर्क

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का लक्ष्य शहरी गरीबी से निपटने के लिए समुचित स्व–प्रबन्धित एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी गरीबों को संगठित करके समुदाय का सशक्तीकरण तथा सामुदायिक ढाँचे को मजबूत बनाना था। वर्ष 2010–14 के मध्य नगरीय सामुदायिक विकास नेटवर्क पर ₹ 24.29 करोड़ का व्यय किया गया *(परिशिष्ट 2.3.6)*।

सामुदायिक नेटवर्क को सशक्त न करना

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 8.1 तथा 8.3 के अनुसार गरीबी उन्मूलन को सुगम बनाने के लिए सामुदायिक ढाँचों (परिवेश दलों, परिवेश समितियों एवं सामुदायिक विकास समितियों) की स्थापना एवं पोषण प्रावधानित था। लाभार्थियों का चिन्हींकरण एवं क्षेत्र में व्यवहार्य परियोजनाओं, ऋण एवं अनुदान के आवेदन पत्रों को तैयार करने, ऋणों की अदायगी का अनुश्रवण तथा लाभार्थियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास समितियों की भूमिका प्रमुख थी। सामुदायिक स्तर पर, सामुदायिक आयोजक[6], सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से शहरी गरीबों के प्रतिनिधित्व तथा क्रियान्वयन मशीनरी के मध्य मुख्य कड़ी थे जिन्हें संविदा के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों में सामुदायिक ढांचों को संगठित करने, शहरी गरीबों के सर्वेक्षण के समन्वय तथा समुदाय के साथ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना था। नमूना जाँच किये गये 19 जनपदों में हमने पाया कि:

सामुदायिक ढांचे पर्याप्त रुप से सशक्त नहीं थे

(i) **समुदायिक ढाँचों का निर्माण:** यद्यपि सभी जनपदों में सामुदायिक विकास समितियां स्थापित थीं परन्तु 9 जनपदों[7] में परिवेश दल एवं परिवेश समितियां स्थापित नहीं थीं तथा 16 जनपदों[8] में सामुदायिक आयोजक नियुक्त नहीं थे। इस प्रकार सामुदायिक ढाँचे दिशा–निर्देशों की अपेक्षानुसार पर्याप्त रुप से सशक्त नहीं किये गये थे।

(ii) **अनुपयुक्त सदस्यों का प्रशिक्षण:** सामुदायिक नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा प्रशिक्षकों के रुप में विकसित करने के लिए परिवेश दलों, परिवेश समितियों एवं सामुदायिक विकास समितियों के सक्रिय सदस्यों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण ने निर्देश दिये (जुलाई 2011) थे। हमने देखा कि नमूना जाँच के तीन जनपदों में 2010–14 के मध्य ग्यारह शहरी स्थानीय निकायों की 3,080 महिलायें जो सक्रिय नहीं थीं एवं जो परिवेश दल की सदस्य नहीं थीं, के प्रशिक्षण पर

[6] शहरी स्थानीय निकाय में 2,000 चिन्हित परिवारों के लिए एक सामुदायिक आयोजक (प्राथमिकता के तौर पर महिला)।
[7] आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, बहराइच, चित्रकूट, गाजियाबाद, हरदोई, सहारनपुर एवं वाराणसी।
[8] आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, कानपुर नगर, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, सोनभद्र एवं वाराणसी।

(121)

₹ 68.39 लाख का व्यय किया गया था *(परिशिष्ट 2.3.8)*। इस प्रकार अनुपयुक्त सदस्यों, जिन्होंने स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन सम्बन्ध गतिविधियों में कोई भाग नहीं लिया था, के प्रशिक्षण पर ₹ 68.39 लाख का निष्फल व्यय किया गया।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि जनपद स्तर पर सामुदायिक विकास समितियों द्वारा सदस्यों का चयन किया गया था, जिन्हें जिला नगरीय विकास अभिकरणों की स्वीकृति के पश्चात् प्रशिक्षण दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मात्र सक्रिय सदस्यों को ही प्रशिक्षण दिया जाना था।

सामुदायिक ढांचों के सदस्यों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया

(iii) **अपर्याप्त प्रशिक्षण:** हमने पाया कि 2013–14 की अवधि में जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा ने 2,480 महिलाओं को नौ–बिन्दुओं वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य लघु उद्योग कार्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 51.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की थी। यह देखा गया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा अनुमोदित नौ–बिन्दुओं वाले प्रशिक्षण माड्यूल के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य लघु उद्योग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मात्र चार बिन्दुओं वाले माड्यूल पर ही प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रकार, सभी नौ माड्यूल पर अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं दिये जाने के कारण ₹ 51.61 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

शासन द्वारा आपत्ति पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.3.8.2 शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण

शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य, शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित ढाँचा, बाजारोन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी गरीबों के कौशल विकास को सुगम बनाना तथा स्वरोजगार हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा बेहतर वेतनभोगी रोजगार तक उनकी पहुँच बनाना था। कौशल प्रशिक्षण, प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण से संबद्ध किया जाना था तथा प्रतिष्ठित संस्थानों (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेज) के योगदान से प्राथमिकता के आधार पर ''सार्वजनिक–निजी भागीदारी मोड'' पर कराया जाना था। जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा शहरी गरीबों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बढ़ईगीरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वाहन चालन, सिलाई, ब्यूटीशियन, सुरक्षा गार्ड, विदेशी भाषा आदि जैसे व्यवसायों को चिन्हित किया गया। इस घटक योजना के अन्तर्गत 2010–14 के मध्य ₹ 124.51 करोड़ का व्यय किया गया था *(परिशिष्ट 2.3.6)*।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

(i) प्रशिक्षण संस्थानों का चयन

मान्यता देने के तौर–तरीकों गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण माड्यूल बनाने, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, सलाह तथा स्थापना समन्वय को निश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक अग्रणी संस्थान राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा तथा जनपद स्तर पर नोडल संस्थानों को जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा चिन्हित किया जाना था। राज्य सरकार द्वारा भी इन संस्थानों का चयन उनकी गुणवत्ता, प्रशिक्षकों की योग्यता, आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता तथा स्थापना/स्व–रोजगार की सफलता अनुपात सुनिश्चित करने के पश्चात करने का निर्देश (सितम्बर 2012) दिया था।

राज्य एवं जनपद स्तर पर प्रतिष्ठित अग्रणी संस्थान एवं नोडल संस्थान, कौशल प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किये गये

नमूना जाँच के नौ जनपदों में यह पाया गया कि 2010–14 के मध्य राज्य एवं जनपद स्तर पर प्रतिष्ठित अग्रणी संस्थान एवं नोडल संस्थानों का चिन्हीकरण कर उन्हें शामिल करने की बजाय जिला नगरीय विकास अभिकरणों ने 33,587 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मनमाने तौर पर 105 निजी संस्थानों का चयन किया तथा ₹ 16.12 करोड़ का व्यय किया *(परिशिष्ट 2.3.9)*। इस प्रकार, लाभार्थियों को गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा आपत्ति पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(ii) कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य प्राप्त न होना

राज्य नगरीय विकास अभिकरण में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 2010–14 के मध्य शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ सारणी 3 के अनुसार थीं।

सारणी 3: शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र0 सं0	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2010-11	28,971	52,419 (181)
2.	2011-12	44,612	31,846 (71)
3.	2012-13	44,612	12,520 (28)
4.	2013-14	62,800	1,00,491(160)
	योग	1,80,995	1,97,276

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के अभिलेख)

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण में उपलब्ध सम्पूर्ण प्रदेश की सूचना के अनुसार शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत, 2011–13 के मध्य 28 से 71 प्रतिशत के बीच उपलब्धियाँ थीं। यद्यपि, 2010–11 एवं 2013–14 में उपलब्धियाँ लक्ष्य से अधिक (160 से 181 प्रतिशत) थीं।

40 प्रतिशत लाभार्थी कौशल प्रशिक्षण के लाभ से वंचित रहे

हमने पाया कि नमूना जाँच के जनपदों में वर्ष 2010–14 के मध्य अवशेष ₹ 10.18 करोड़ धनराशि की उपलब्धता के बावजूद 1,41,893 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 85,109 (60 प्रतिशत) लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया *(परिशिष्ट 2.3.10)*। इस प्रकार नमूना जाँच के जनपदों में 40 प्रतिशत लाभार्थी कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे।

शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

(iii) लक्षित लाभार्थियों के मानकों का पालन न करना

दिशा–निर्देशों में प्रावधानित था कि शहरी गरीबों को प्रशिक्षण में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में,

15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों तथा तीन प्रतिशत अन्य प्रकार से अशक्त व्यक्तियों को आच्छादित किया जाना था। हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये जनपदों में :

- मात्र छः से 10 प्रतिशत महिलायें तथा एक प्रतिशत से कम अशक्त लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं किया गया था; यद्यपि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.06 लाख थी; एवं

- जिला नगरीय विकास अभिकरण सहारनपुर द्वारा 350 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर (2012–14) ₹ 22.38 लाख का व्यय किया गया, जिसमें से 243 गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के थे। परिणामस्वरुप, शहरी गरीब, योजना के लाभ से वंचित रहे। इस प्रकार लक्षित श्रेणियों के कौशल विकास के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि, लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर आच्छादित किया गया। शासन का उत्तर लेखापरीक्षा के अभिकथन की पुष्टि करता है कि कार्यक्रम का नियोजन अपूर्ण था तथा लाभार्थियों का चिन्हींकरण व्यापक सर्वेक्षण तथा स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करते हुये नहीं किया गया था।

(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यों का उप–करार किया जाना

छः संस्थानों को सौंपे गये प्रशिक्षण देने के कार्य को उप–करार के माध्यम से निजी संस्थानों को दिया गया

हमने पाया कि, नमूना जाँच किये गये चार जनपदों में, परियोजना निदेशक द्वारा 2010–14 के मध्य, 1904 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का कार्य, छः संस्थानों ***(परिशिष्ट 2.3.11)*** को ₹ 99.07 लाख में आबंटित किया। चयनित संस्थानों द्वारा उ0प्र0 सरकार के निर्देशों के विपरीत प्रशिक्षण कार्य का उप–करार अन्य संस्थानों से किया गया, जिनका निरीक्षण जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार, चयनित संस्थानों के सत्यापन का निश्चित उद्देश्य असफल रहा क्योंकि, चयनित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण स्वयं नहीं दिया गया था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2015) कि प्रशिक्षण कार्य शासकीय संस्थानों को आबंटित किया गया था जिन्होंने सूचीबद्ध संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्रशिक्षण कार्य उन लोक–उपक्रमों को उनके पास कौशल प्रशिक्षण हेतु आवश्यक, आधारभूत ढाँचा एवं विशेषज्ञता सुनिश्चित किये बिना नहीं दिया जाना चाहिए था।

(v) लाभार्थियों को टूल–किटों का वितरण तथा मानदेय का भुगतान नहीं करना

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 6.5 तथा शासन द्वारा निर्गत निर्देशों (जनवरी 2010) में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹ 10,000.00 (प्रशिक्षण: ₹ 2,500, लेखन सामग्री: ₹ 2,000, टूलकिट: ₹ 3,000 एवं मानदेय: ₹ 400 प्रतिमाह की दर से अधिकतम ₹ 2,500) के व्यय का प्रावधान था। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात, लाभार्थियों को उनके उद्यमों की स्थापना में सहायता के लिए उपयुक्त टूल–किटों का वितरण आवश्यक था। सफल प्रशिक्षणार्थियों को टूल–किटों एवं मानदेय का वितरण, जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा किया जाना था। हमने देखा कि निम्नलिखित प्रकरणों में टूल–किट एवं मानदेय लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं कराये गये:

46 प्रतिशत लाभार्थी टूल–किटों से वंचित रहे

• नमूना जाँच किये गये 14 जनपदों *(परिशिष्ट 2.3.12)* में 2010–14 के मध्य 53,490 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, परन्तु मात्र 28,655 लाभार्थियों (54 प्रतिशत) को टूल–किटें उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार ₹ 7.89 करोड़ के निधि की उपलब्धता के बावजूद 24,835 लाभार्थी (46 प्रतिशत) टूल–किटों से वंचित रह गये।

मानदेय तथा टूल–किटों पर ₹ 2.04 करोड़ के व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका

• शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये नमूना जाँच किये गये तीन जनपदों के जिला नगरीय विकास अभिकरणों ने प्रशिक्षण लागत, मानदेय एवं टूल–किटों हेतु ₹ 3.17 करोड़ का अग्रिम भुगतान आठ संस्थानों को (3,169 लाभार्थियों के लिए ₹ 10,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी) कर दिया गया *(परिशिष्ट 2.3.13)*। अग्रेतर, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर ने ₹ 63.54 लाख मूल्य की 2118 टूल–किटों का क्रय उत्तर प्रदेश लघु उद्योग कार्पोरेशन लिमिटेड से किया (2010–12) तथा सफल प्रशिक्षणार्थियों को वितरित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया। यद्यपि, संस्थानों द्वारा सफल प्रशिक्षणार्थियों को टूल–किटों के वितरण तथा मानदेय के भुगतान करने के कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार मानदेय तथा टूल–किटों पर ₹ 2.04 करोड़ के व्यय का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

4,120 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थानों को ₹ 1.77 करोड़ का भुगतान गुणवत्ता, टूल–किटों का वितरण एवं मानदेय और प्लेसमेन्ट/स्वरोजगार सुनिश्चित किये बिना किया गया

• जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा द्वारा 4120 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान (टूल–किटों सहित) करने का कार्य तीन संस्थानों[9] को आबंटित किया (2013–14) गया तथा ₹ 1.77 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। सामुदायिक विकास समितियों द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण ने परियोजना निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण की अध्यक्षता में एक जाँच समिति का गठन मई 2014 में किया, जिसने रिपोर्ट में कहा कि संस्थानों द्वारा दी गयी प्रशिक्षण की गुणवत्ता दयनीय थी, टूल–किटों तथा मानदेय का वितरण नहीं किया गया और प्लेसमेन्ट/स्वरोजगार सुनिश्चित नहीं किया गया था। प्रकरण शासन को संदर्भित (जुलाई 2014) कर दिया गया, जबकि अक्टूबर 2015 तक निर्णय लम्बित था।

शासन ने बताया कि (नवम्बर 2015) आयुक्त, आगरा द्वारा जाँच की जा रही है तथा रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

मानदेय का भुगतान सफल लाभार्थियों को नहीं किया गया

• शासन के दिशा–निर्देशों के विपरीत, नमूना जाँच किये गये चार जनपदों में ₹ 1.63 करोड़ धनराशि की उपलब्धता के बावजूद, 7,053 सफल लाभार्थियों को ₹ 1.69 करोड़ मानदेय का वितरण नहीं किया गया; और नमूना जाँच किये चार जनपदों में 4,683 सफल लाभार्थियों को मानदेय के वितरण के लिए ₹ 0.90 करोड़, 27 प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करा दिये गये जैसा कि *परिशिष्ट 2.3.14* एवं *परिशिष्ट 2.3.15* में ब्यौरेवार अंकित है। यद्यपि, संस्थानों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय वितरित करने के साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा: सफल लाभार्थियों को टूल–किटों एवं मानदेय का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

[9] डाटा एक्सपर्ट, फोटेक सेवा संस्थान एवं वी–काल साफ्ट सोल्यूशन प्रा0लि0।

(vi) रोजगार/स्व-रोजगार सुनिश्चित न करना

राज्य सरकार ने प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ अनुबन्ध करके सफल प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेन्ट सुनिश्चित करने के लिए जिला नगरीय विकास अभिकरणों को निर्देश निर्गत किया (सितम्बर 2012) था।

हमने पाया कि, नमूना जाँच किये गये जनपदों में 2010–14 के मध्य, ₹ 59.08 करोड़ से 85,109 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था *(परिशिष्ट 2.3.10)*। यद्यपि संस्थानों द्वारा मात्र 10,412 लाभार्थियों (12 प्रतिशत) के प्लेसमेन्ट/स्व–रोजगार का विवरण मार्च 2015 तक उपलब्ध कराया गया।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि, सभी प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार/स्व–रोजगार उपलब्ध करा दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि, शत–प्रतिशत प्लेसमेन्ट/स्वरोजगार के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये यद्यपि माँगे गये थे।

2.3.8.3 शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम

शहरी गरीबों को लाभप्रद स्व–रोजगार उद्यमों को स्थापित करने के लिए ऋण एवं अनुदान के रुप में ₹ 2.00 लाख तक की वित्तीय सहायता (अनुदान:परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹ 50,000 एवं लाभार्थी अंश:परियोजना लागत का 5 प्रतिशत) और तकनीकी, विपणन तथा आधारभूत सहायता के लिए शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम लक्षित था। दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 4 में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलायें, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को शहर में उनकी जनसंख्या के अनुपात में, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों तथा तीन प्रतिशत अशक्तों को आच्छादित किये जाने का प्रावधान था।

शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, 2010–14 के मध्य, स्व–रोजगार परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष अनुदान के भुगतान पर ₹ 111.95 करोड़ *(परिशिष्ट 2.3.6)* का व्यय किया गया था। 2010–14 के मध्य निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये ऋण सारणी 4 में दिया गया है:

सारणी 4: शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदानित ऋण प्रदान किये गये लाभार्थियों का विवरण

क्र० सं०	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
		ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
1.	2010-11	3,621	7,402(204)
2.	2011-12	11,193	4,605(41)
3.	2012-13	9,123	9,503(104)
4.	2013-14	9,400	6,943(74)
योग		33,337	28,453 (85)

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के अभिलेख)

शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 33,337 लाभार्थियों के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 28,453 लाभार्थियों (85 प्रतिशत) के ऋण स्वीकृत किये गये, परिणाम स्वरुप 15 प्रतिशत की कमी रही। नमूना जाँच किये गये 19 जनपदों की लेखापरीक्षा में पाया

नमूना जाँच किये गये जनपदों में, वर्ष 2010–14 के मध्य, केवल 74 प्रतिशत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किये एवं अनुदान प्रदान किये गये

गया कि, 16,153 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 11,908 लाभार्थियों (74 प्रतिशत) के ऋण स्वीकृत किये गये तथा ₹ 51.28 करोड़ का अनुदान 2010–14 के मध्य स्वीकृत किया गया था। लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण कमियाँ अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद तथा वाराणसी *(परिशिष्ट 2.3.16)* में देखी गयी।

अग्रेतर, 30 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष मात्र चार से 10 प्रतिशत महिलायें, तीन प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष एक प्रतिशत से भी कम अशक्त तथा अनुसूचित जनजाति के कोई लाभार्थी आच्छादित नहीं किये गये।

शासन द्वारा बताया (नवम्बर 2015) गया कि, जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों को आच्छादित किया गया था। शासन का उत्तर लेखापरीक्षा अभिकथन की पुष्टि करता है कि, कार्यक्रम की योजना अपूर्ण थी तथा लाभार्थियों का चिन्हींकरण समुचित व्यापक सर्वे तथा स्थानीय समुदायों के सहयोग के आधार पर नहीं किया गया था।

(i) अपात्र आवेदकों को लाभ प्रदान करना

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 4.2.5 में वास्तविक लाभार्थियों के चिन्हींकरण के लिए सामुदायिक संरचनाओं का उपयोग करते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को उच्च प्राथमिकता दिया जाना प्रावधानित था। हमने पाया कि, सामुदायिक संरचनाओं के अप्रभावी होने के कारण, शहरी गरीबों का डाटाबेस नहीं बन सका था तथा लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार, सामुदायिक विकास समिति द्वारा नामांकन तथा व्यक्तियों द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण से सीधे सम्पर्क के आधार पर किया गया था। हमने यह भी देखा कि नमूना जाँच किये गये जनपदों में शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, अपात्र आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :

योजनान्तर्गत ₹1.64 करोड़ का अनुदान, 926 लाभार्थियों में से 397 अपात्र आवेदकों (43 प्रतिशत) को वितरित किया गया

- 2010–14 के मध्य, 15 जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा स्वीकृत 10,593 ऋण आवेदनों में से 926 ऋण स्वीकृतियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयीं। इन 926 ऋण स्वीकृतियों की सम्परीक्षा में पाया गया कि, ₹ 1.64 करोड़ का अनुदान, गरीबी रेखा के ऊपर श्रेणी के 397 आवेदकों (43 प्रतिशत) को वितरित किया गया था, जो योजनान्तर्गत पात्र नहीं थे *(परिशिष्ट 2.3.17)*। अपात्र आवेदकों की संख्या का प्रतिशत अलीगढ़: 97 प्रतिशत, गाजियाबाद: 93 प्रतिशत, गोरखपुर: 80 प्रतिशत, कानपुर नगर: 62 प्रतिशत, सहारनपुर: 67 प्रतिशत तथा वाराणसी: 69 प्रतिशत में अप्रत्याशित रुप से अधिक था *(परिशिष्ट 2.3.17)*, और

- जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा द्वारा 2010–14 के मध्य 1,459 लाभार्थियों को ₹ 5.82 करोड़ का अनुदान बिना उनकी पात्रता मानक को सुनिश्चित किये हुये अवमुक्त किया गया क्योंकि, न तो गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड, न ही आय प्रमाण–पत्र उपलब्ध थे।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि, जिला नगरीय विकास अभिकरण एवं बैंकों की संतुष्टि के पश्चात, लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि, अनुदानित ऋणों का लाभ अपात्र लाभार्थियों को दिया गया था।

2.3.8.4 शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम

शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं को समूहों में कार्य करने के लिए संगठित कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना था। सामुदायिक विकास समितियां, शहरी गरीब महिलाओं के स्वयं–सहायता समूहों के उन्नयन के लिए उत्तरदायी थीं। 2010–14 के मध्य, महिला स्वयं–सहायता समूहों को बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष अनुदान तथा आवर्ती निधि के भुगतान पर ₹ 24.97 करोड़ *(परिशिष्ट 2.3.6)* का व्यय किया गया।

(i) लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

दिशा–निर्देशों का प्रस्तर 5 एवं 5.2.3, क्षेत्र के लिए उपयुक्त एवं व्यवहार्य परियोजनाओं में लाभदायी स्व–रोजगार उद्यमों[10] की स्थापना के लिए स्वयं–सहायता समूहों (न्यूनतम पांच शहरी महिलाओं का) को ₹ 3.00 लाख के ऋण एवं अनुदान (परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अथवा ₹ 0.60 लाख प्रति सदस्य, जो भी कम हो) के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रित था।

शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम के लिए 2010–14 के मध्य निर्धारित भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ सारणी 5 में दी गयी हैं:

सारणी 5: शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये अनुदान का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
		लक्ष्य	उपलब्धियां (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2010-11	10,864	9,412 (87)
2.	2011-12	22,335	3,600 (16)
3.	2012-13	51,572	7,918 (15)
4.	2013-14	21,975	9,560 (44)
	योग	1,06,746	30,490 (29)

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के अभिलेख)

स्वयं–सहायता समूहों के शहरी गरीब महिला लाभार्थियों में से केवल 29 प्रतिशत को स्वरोजगार उद्यम स्थापना हेतु अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराया गया था

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि लाभदायी स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए 1,06,746 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष, शहरी गरीब महिलाओं के स्वयं–सहायता समूहों के मात्र 30,490 (29 प्रतिशत) लाभार्थियों को अनुदान उपलब्ध कराया गया था तथा नमूना जाँच किये गये जनपदों में 2010–14 के मध्य, 30,166 के लक्ष्य के सापेक्ष 18,145 (60 प्रतिशत) लाभार्थी ही आच्छादित किये गये थे *(परिशिष्ट 2.3.18)*।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि धनराशि की उपलब्धता के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति हुयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य नगरीय विकास अभिकरण आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर सका था तथा अनुपयोगी धनराशि ₹ 206.50 करोड़ 2010–14 के मध्य राज्य नगरीय विकास अभिकरण के पास पड़ी थी।

[10] चाय दुकान, अखबार/पत्रिका दुकान, दुग्ध बिक्री, फल/सब्जी बिक्री, वाशिंग पाउडर, अगरबत्ती, चूड़ी, कपड़े प्लास्टिक खिलौने बनाने/उत्पादन का काम, साड़ी छपाई इत्यादि।

(ii) अपात्र समूहों को अनुदान दिया जाना

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 4.2.5 में गरीबों में गरीब व्यक्ति को उच्च प्राथमिकता दिया जाना प्राविधानित था। नमूना जाँच किये गये 19 में से 11 जनपदों में हमने देखा कि 182 समूहों (911 लाभार्थी) में से 60 समूहों (188 लाभार्थी) को ₹ 1.35 करोड़ का अनुदान दिया गया था जो कि गरीबी रेखा के ऊपर थे *(परिशिष्ट 2.3.19)* तथा नमूना जाँच किये गये पांच जनपदों में ₹ 1.82 करोड़ का अनुदान 84 समूहों के 450 लाभार्थियों *(परिशिष्ट 2.3.20)* को आवश्यक आय प्रमाण–पत्र एवं गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड उपलब्ध कराये बिना ही उपलब्ध कराया गया था।

शासन द्वारा बताया (नवम्बर 2015) गया कि लाभार्थियों को ऋण, जिला नगरीय विकास अभिकरण और बैंकों की संतुष्टि के उपरान्त उपलब्ध कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अपात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया था।

(iii) आवर्ती निधि

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 5.3.1 के अनुसार स्वयं–सहायता समूह/थ्रिफ्ट एवं ऋण समितियां (न्यूनतम पांच शहरी गरीब महिलाओं से) गठन के एक वर्ष के पश्चात, ₹ 25,000 के आवर्ती निधि (अधिकतम ₹ 2,000 प्रति सदस्य) के रुप में अनुदान हेतु अधिकृत थीं। राज्य सरकार द्वारा क्रियाशील समूहों को आय सृजन हेतु कच्चा माल के क्रय, विपणन तथा आधारभूत सहायता एवं अन्य समूह गतिविधियों व उन्हें सक्षम बनाने के लिए उनकी बचत के अनुरुप मैचिंग अनुदान उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये (जनवरी 2000) थे। हमने देखा कि :

नमूना जाँच किये गये जनपदों में, 2010–14 के मध्य, 1,242 स्वयं–सहायता समूहों में से 446 (36 प्रतिशत) स्वयं–सहायता समूह, ₹ 89.45 लाख का अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् निष्क्रिय हो गये

- नमूना जाँच किये गये जनपदों में 2010–14 के मध्य, रिवाल्विंग फण्ड से अनुदानित 1242 स्वयं–सहायता समूहों में से नौ जनपदों में 446 (36 प्रतिशत) स्वयं–सहायता समूह, ₹ 89.45 लाख का अनुदान प्राप्त करने के पश्चात निष्क्रिय[11] हो गये थे। यह इंगित करता है कि, स्वयं–सहायता समूहों का चिन्हींकरण उचित नहीं था और जिला नगरीय विकास अभिकरण तथा सामुदायिक संरचनायें भी इन समूहों की गतिविधियों/उद्यमों का प्रभावी अनुश्रवण करने में असफल थीं *(परिशिष्ट 2.3.21)*

- 121 समूहों की नमूना जाँच में पाया गया कि, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोरखपुर, हरदोई, झासी, मऊ एवं मुरादाबाद द्वारा 104 समूहों को उनकी बचत से ₹ 19.31 लाख की अधिक आवर्ती निधि उपलब्ध करायी गयी *(परिशिष्ट 2.3.22)*। तथा;

- 11 जनपदों की नमूना जाँच में पाया गया कि, 674 समूहों (8,859 लाभार्थियों) को उनके गरीबी रेखा से नीचे होना सुनिश्चित किये बिना ही ₹ 1.34 करोड़ की आवर्ती निधि उपलब्ध करा दी गयी थी क्योंकि न तो राशन कार्ड और न ही आय प्रमाण–पत्र अभिलेखों के साथ उपलब्ध थे *(परिशिष्ट 2.3.23)*।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

[11] बचत एवं साख जुटाने के साथ–साथ उद्यमी गतिविधियां बंद कर देने वाले समूह निष्क्रिय समूह कहलाते हैं।

2.3.8.5 शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

योजना का शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम घटक, शहरी स्थानीय निकायों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों को परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु, सामग्री–श्रम का 60:40 के अनुपात का अनुपालन करके मजदूरी–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रावधानित था। इन परिसम्पत्तियों में सामुदायिक केन्द्र, वर्षा जल के निकास, सड़कें, रात्रि निवास स्थल, मिड–डे–मील योजनान्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं में किचन शेड तथा सामुदायिक संरचनाओं द्वारा स्व–निर्धारित अन्य सामुदायिक आवश्यकतायें जैसे पार्क, ठोस कचरा प्रबन्धन व्यवस्था आदि सम्मिलित किये जा सकते थे। अल्प–आय परिवेशों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना था। राज्य में शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 2010–14 के मध्य ₹ 83.58 करोड़*(परिशिष्ट 2.3.6)* का व्यय किया गया था।

(i) मजदूरी रोजगार अवसरों की क्षति

वर्ष 2010–14 की अवधि में, मजदूरी रोजगार के 1.40 लाख श्रम–दिवसों (26 प्रतिशत) की कमी थी

नमूना जाँच किये गये जनपदों में, राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा 2010–14 के मध्य, मजदूरी रोजगार के लिए 5.31 लाख श्रम–दिवस उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष उपरोक्त अवधि में मात्र 3.91 लाख मजदूरी रोजगार में श्रम–दिवस उपलब्ध कराये जा सके थे, परिणामतः 1.40 लाख श्रम–दिवसों (26 प्रतिशत) की कमी रही। वर्ष 2010–14 के मध्य, कराये गये ₹ 20.60 करोड़ मूल्य के 309 कार्यों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उसमें सामग्री तथा श्रम का अनुपात निर्धारित 60:40 के मानक के सापेक्ष 79:21 (सामग्रीः ₹ 16.18 करोड़ तथा श्रमः ₹ 4.42 करोड़) था। सामग्री श्रमांश मानकों का अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप 2010–14 के मध्य, 1.40 लाख श्रम–दिवस सृजन की कमी रही। सोनभद्र, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच एवं आगरा के जनपदों में अधिकांशतः कमी दृष्टिगत हुयी जिसका, विवरण *परिशिष्ट 2.3.24* एवं *2.3.25* में दिया गया है।

शासन द्वारा बताया (नवम्बर 2015) गया कि, सामग्री में सम्मिलित मिट्टी भरायी श्रम घटक था। शासन का उत्तर लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है कि निर्धारित सामग्री श्रम मानकों का पालन नहीं किया गया था।

(ii) सामुदायिक परिसम्पत्तियों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तगत न कराया जाना

राज्य नगरीय विकास अभिकरण के निर्देशों (अक्टूबर 2011) के विपरीत, नमूना जाँच किये गये 19 जनपदों में 2010–14 के मध्य ₹ 20.60 करोड़ की लागत से निर्मित 309 पेवर ब्लाक सड़कों को जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा मार्च 2015 तक न तो सम्पत्ति पंजिका में अंकित किया गया और न ही शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया गया, परिणामतः इन परिसम्पत्तियों का रखरखाव नहीं हो सका।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि, सभी निर्मित परिसम्पत्तियां, जनपदों के सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दी गयी थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि, नमूना जाँच किये गये जनपदों में जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को परिसम्पत्तियाँ हस्तगत नहीं कराये जाने का तथ्य स्वीकार किया गया था।

2.3.8.6 सूचना, शिक्षा तथा संचार

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 10.3 में उल्लेखित था कि, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वार्षिक आबंटन का तीन प्रतिशत, प्रचार, मूल्यांकन अध्ययन एवं योजना के अनुश्रवण के लिए उपयोग किया जायेगा।

वर्ष 2010–14 के मध्य सूचना, शिक्षा तथा संचार मद में आकलित ₹ 13.11 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 2.79 करोड़ धनराशि का उपयोग किया गया व अवशेष ₹ 10.32 करोड़ बैंकों में अनुपयोगी पड़ी थी

हमने देखा कि, 2010–14 के मध्य सूचना, शिक्षा तथा संचार के मद में आकलित ₹ 13.11 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 2.79 करोड़ का उपयोग राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किया गया व अवशेष ₹ 10.32 करोड़ की धनराशि बैंकों में अनुपयोगित पड़ी थी। अग्रेतर, हमने देखा कि, 2010–14 के मध्य ₹ 2.79 करोड़ के सापेक्ष राज्य नगरीय विकास अभिकरण ने, नमूना जाँच किये गये जनपदों के जिला नगरीय विकास अभिकरणों को सूचना, शिक्षा तथा संचार सम्बन्धित व्यय हेतु मात्र ₹ 12.79 लाख अवमुक्त किया था जिसके सापेक्ष केवल ₹ 10.88 लाख का व्यय किया गया, ₹ 0.30 लाख वापस किया गया तथा ₹ 1.61 लाख जनपदों में अवशेष पड़ी थी *(परिशिष्ट 2.3.26)*। नमूना जाँच किये गये पांच[12] जनपदों में सूचना, शिक्षा तथा संचार के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि अधिकतम धनराशि का उपयोग राज्य नगरीय विकास अभिकरण स्तर पर प्रचार हेतु किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों/जनपदों में प्रचार, मूल्यांकन अध्ययन एवं योजना के अनुश्रवण हेतु धनराशि का समुचित उपयोग नहीं हुआ था।

2.3.9 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन

₹ 206.50 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद 2014–15 के मध्य, राज्य नगरीय विकास अभिकरण/जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा कोई व्यय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में नहीं किया गया था

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, 01 अप्रैल 2014 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रुप में परिवर्तित हो गयी व वित्तीय अंश भारत सरकार एवं राज्य सरकार में 75:25 के अनुपात में था। वर्ष 2014–15 के मध्य, आबंटित ₹ 182.14 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 157.98 करोड़ एवं राज्य सरकार: ₹ 24.16 करोड़) के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 61.93 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 46.45 करोड़ एवं राज्य सरकार: ₹ 15.48 करोड़) अवमुक्त किया गया तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कुल धनराशि ₹ 206.50 करोड़ (स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की अवशेष ₹ 144.57 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत अवमुक्त: ₹ 61.93 करोड़) थी। हमने पाया कि, यद्यपि, विभिन्न घटकों के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत स्वयं–सहायता समूहों का गठन (सात प्रतिशत), स्व–रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को बैंकों को अग्रसारित करने (आठ प्रतिशत) तथा राज्य शहरी पथ विक्रेता के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण (तीन शहरों में) के कार्यों की पहल की गयी थी *(परिशिष्ट 2.3.27)*। तथापि, ₹ 206.50 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद 2014–15 के मध्य, राज्य नगरीय विकास अभिकरण/जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था।

[12] आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, झाँसी एवं मऊ।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि, फेडरेशनों के गठन तथा उनके स्वयं–सहायता समूह आधारित संरचनाओं में बदलने का कार्य, क्षमता निर्माण कार्य आश्रय स्थल एवं तकनीकी विशषज्ञों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

2.3.10 आन्तरिक नियंत्रण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

2.3.10.1 आन्तरिक नियंत्रण

एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करती है। नमूना जाँच किये गये जनपदों में हमने देखा कि:

वर्ष 2010–14 के मध्य, जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा 'सखी दिवस' का आयोजन नहीं किया गया एवं सोशल ऑडिट का सम्पादन नहीं कराया गया

- योजना के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा फीडबैक प्राप्त करने के लिए जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर, माह के प्रत्येक तीसरे शनिवार को सामुदायिक विकास समितियों की भागीदारी से 'सखी दिवस' का आयोजन किया जाना था। यद्यपि, 2010–14 के मध्य, जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा कोई 'सखी दिवस' आयोजित नहीं कराया गया था;

- राज्य नगरीय विकास अभिकरण तथा जिला नगरीय विकास अभिकरणों में न तो आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड है और न ही कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विकसित है; और

- शासन ने योजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल आडिट सम्पादित करने के लिए निर्देशित किया था (अगस्त 2010)। यद्यपि, 2010–14 के मध्य, कोई सोशल आडिट सम्पादित नहीं किया गया था।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि, सोशल आडिट का प्रावधान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत किया गया है।

2.3.10.2 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया था, राज्य नगरीय विकास अभिकरण की निर्धारित शासी निकाय की बैठकें सम्पादित नहीं हुयी थी तथा योजनाओं का निरन्तर मूल्यांकन नहीं किया गया

दिशा–निर्देशों में प्रावधानित था कि योजना गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिये विभागीय सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की जाये जिसकी प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाये। हमने पाया कि राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन मार्च 2015 तक नहीं हुआ था। और यह भी पाया गया कि:

- संगठन ज्ञापन में उल्लिखित था कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार हो। यद्यपि, 2010–15 के मध्य, आवश्यक 20 बैठकों में से केवल चार बैठकें आयोजित हुयी।

- भारत सरकार के दिशा–निर्देशों[13] के अनुसार संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना था, जिसे योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करनी थी। बैठक का कार्यवृत्त सूडा को प्रेषित करके, कार्यवृत्त में इंगित कार्यवाही सुनिश्चित करनी थी।

[13] ओएम: नं0 एफ.2–45(1)/2011/सीपी दिनांक 27.11.2011

हमने देखा कि, जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति का गठन मार्च 2015 तक नहीं हुआ था।

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के प्रभाव के आकलन हेतु सामयिक अंतराल पर समवर्ती मूल्यांकन किया जाना था। यद्यपि, योजनाओं का मूल्यांकन राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन न हो पाने एवं शासी निकाय तथा जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति के बैठक के मापदण्डों का अनुपालन न करने के कारण, प्रभावी अनुश्रवण और मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि अनुश्रवण किया जा रहा था और राज्य एवं जिला स्तरीय मासिक बैठकों में निर्देश जारी किया जाता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति का गठन होना था।

अनुशंसा: प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति गठित की जानी चाहिए।

2.3.11 साक्ष्य एवं अभिलेखीकरण

हमने पाँया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण/जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा सम्पत्ति पंजिका, भण्डार पंजिका, अनुश्रवण आख्या तथा शिकायत निवारण सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। अग्रेतर, *परिशिष्ट 2.3.28* में उल्लिखित अभिलेखों को निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.3.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसा

- योजना का वित्तीय प्रबन्धन दयनीय एवं निष्प्रभावी था। व्यय न की गयी धनराशि का घटकवार आकलन एवं लेखांकन नहीं किया गया था।

- अर्जित ब्याज ₹ 49.59 करोड़ का लेखांकन नहीं किया गया था तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये गये थे फलस्वरुप, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में धनराशि ₹ 46.68 करोड़ रोक ली गयी थी।

अनुशंसा: राज्य नगरीय विकास अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा अर्जित ब्याज का लेखांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को समय से प्रेषित करना चाहिये।

- वास्तविक लाभार्थियों के चिन्हींकरण हेतु मलिन बस्तियों का उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था एवं डेटाबेस नहीं बनाया गया था; अपात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया था।

अनुशंसा: मलिन बस्तियों के सर्वेक्षण के आधार पर सघन डेटाबेस बनाये जाने चाहिए जिससे कि वास्तविक लाभार्थियों का चिन्हींकरण कर उन्हें लाभान्वित करने की प्रणाली विकसित की जा सके।

- राज्य नगरीय विकास अभिकरण/जिला नगरीय विकास अभिकरण स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु संदर्श योजना एवं मलिन बस्ती विकास योजना नहीं बनायी गयी थी।

अनुशंसा: योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संदर्श योजना एवं मलिन बस्ती विकास योजना बनायी जानी चाहिये।

- राज्य स्तर पर अग्रणी संस्थान एवं जनपद स्तर पर नोडल संस्थानों का चयन नहीं किया गया था जिसके कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उप-करार किया गया तथा लाभार्थियों का नियोजन सुनिश्चित नहीं किया गया था। सफल लाभार्थियों को टूल-किट एवं छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अनुशंसा: सफल लाभार्थियों को टूल-किट एवं मानदेय का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा जनपद स्तरीय समीक्षा व अनुश्रवण समिति का गठन नहीं हुआ था तथा मूल्यांकन नहीं किया गया था।

अनुशंसा: प्रभावी अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा जनपद स्तरीय समीक्षा व अनुश्रवण समिति का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 2.3.1
सामुदायिक संरचनाओं का गठन एवं उनकी क्रियाशीलता
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.1; पृष्ठ 63)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत समुदाय आधारित संरचनाओं/संगठनों जैसे परिवेश दल, परिवेश समितियां और समुदाय विकास समितियों का गठन किया जाना था।

1. **परिवेश दल:** परिवेश दल, शहरी स्थानीय निकायों की मोहल्ला/बस्ती की 10 से 40 महिलाओं का एक अनौपचारिक संगठन है जिसे मलिन क्षेत्र में रह रहे परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करने, कार्ययोजना बनाने एवं योजना के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु परिवेश समितियों, समुदाय विकास समितियों तथा अन्य मंचों पर समूह के विचारों को प्रस्तुत करना था।

2. **परिवेश समितियाँ:** परिवेश समिति, परिवेश दलों से गठित महिलाओं का एक औपचारिक संगठन है जिसे समुदाय सर्वेक्षण, स्थानीय समस्याओं और प्राथमिकताओं को चिन्हित करने, प्रशिक्षण के माध्यम से समुदाय की क्षमता विकसित करने और लाभार्थियों से ऋण वसूली करने में सहायता देना था।

3. **सामुदायिक विकास समिति:** सामुदायिक विकास समिति, परिवेश समितियों का एक औपचारिक संगठन है जो सभी समुदायों की आवश्यकताओं, लाभार्थियों का चिन्हींकरण, सर्वेक्षण में सहायता, सामुदायिक विकास योजना एवं प्रस्ताव बनाने, लाभार्थियों को समय पर ऋण वापसी सुनिश्चित करने में सहायता और शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ के परामर्श से छोटी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करने में सहायता करती है।

परिशिष्ट 2.3.2
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के घटक

(संदर्भः प्रस्तर सं. 2.3.1; पृष्ठ 64)

1. **शहरी समुदाय विकास नेटवर्क–** शहरी समुदाय विकास नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक संरचनाओं को समर्थ एवं सुदृढ़ बनाना था;

2. **शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण–** शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों का गरीबी उन्मूलन के लिए कौशल विकास करना था;

3. **शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम–**शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी गरीबों को लाभप्रद स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था;

4. **शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम–** शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं द्वारा गठित स्वयं–सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करना था; एवं

5. **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम–** शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीबों को मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करना था।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक

1. **सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास–** सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास, शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूहों और उसके संघों के रुप में सार्वभौमिक सामाजिक संगठन पर जोर देता है;

2. **क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम–** क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य तथा नगर स्तर पर समयबद्ध और उच्चगुणवत्ता युक्त तकनीकी सहायता स्थापित करना था;

3. **कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार–** कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार का, उद्देश्य शहरी गरीबों के कौशल उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना था जिससे वे स्व–रोजगार एवं वैतनिक रोजगारों हेतु अपनी क्षमता का विस्तार कर सके;

4. **स्व–रोजगार कार्यक्रम** –स्व–रोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीबों को व्यक्तिगत/समूहों में लाभकारी स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना था;

5. **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता–** शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता का उद्देश्य पथ विक्रेताओं के कौशल विकास हेतु विषमतापरक समूहों को सामाजिक सुरक्षा हेतु सहयोग करना था; एवं

6. **शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना–** शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना का उद्देश्य समाज के निर्धनतम् वर्ग को आश्रय एवं सभी अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान करना था।

परिशिष्ट 2.3.3
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का संगठनात्मक ढांचा
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.2; पृष्ठ 64)

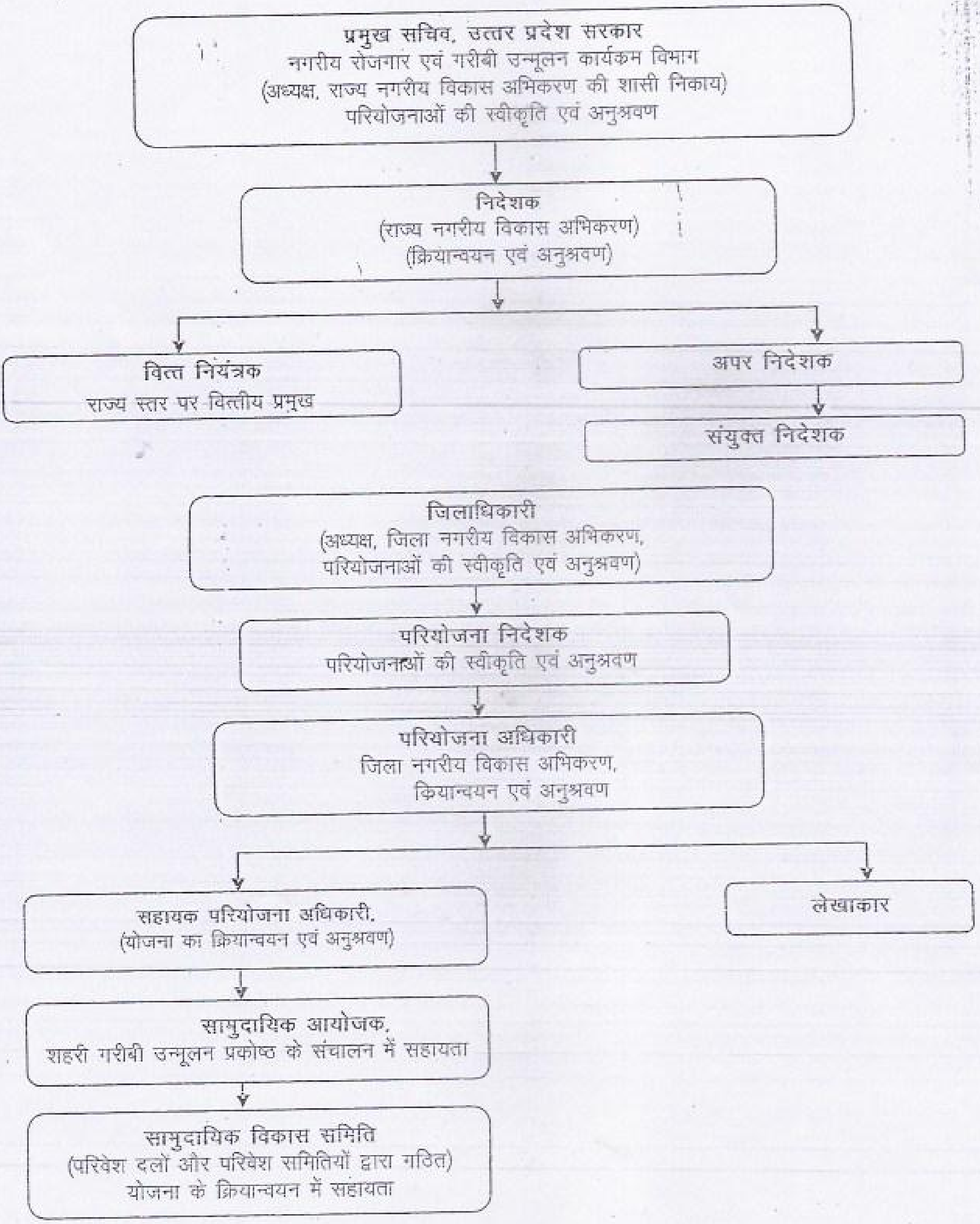

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.4

शहरी जनसंख्या एवं राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा चयनित जनपदों के सम्बन्ध में वर्ष 2010-14 की अवधि में अवमुक्त धनराशि का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.6.1; पृष्ठ 66)

क्र0 सं0	चयनित जनपद	शहरी जनसंख्या	गरीबी रेखा के नीचे का परिवार (प्रतिशत)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)				कुल धनराशि	कुल धनराशि (प्रतिशत)
				2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चित्रकूट	76,560	2,590 (1)	23.06	147.75	23.72	14.36	208.89	2
2.	अम्बेडकरनगर	2,31,900	5,19,40 (19)	81.77	96.99	71.00	34.05	283.81	3
3.	बहराइच	2,38,000	10,300 (4)	94.16	63.59	110.26	99.86	367.87	4
4.	रायबरेली	2,73,990	12,360 (4)	68.82	22.46	137.19	69.53	298.00	4
5.	सोनभद्र	2,75,440	6,900 (2)	49.66	58.86	31.08	52.89	192.49	2
6.	मऊ	3,60,360	3,42,10 (12)	77.77	84.90	55.31	113.53	331.51	4
7.	हरदोई	4,07,320	4,180 (2)	118.51	216.65	51.37	84.77	471.30	5
8.	अलीगढ़	8,64,690	6,910 (3)	214.28	124.21	177.02	253.75	769.26	9
9.	मुजफ्फरनगर	9,03,880	4,10,80 (15)	280.62	116.70	313.79	131.79	842.90	10
10.	मुरादाबाद	11,66,190	23,380 (8)	309.67	132.15	266.68	176.83	885.33	10
11.	वाराणसी	12,60,570	17,590 (6)	285.33	133.21	227.29	315.12	960.95	11
12.	गाजियाबाद	18,16,410	16,350 (6)	410.27	179.50	275.07	348.23	1,213.07	14
13.	कानपुर नगर	27,97,510	5,05,70 (18)	651.67	185.91	402.62	684.74	1,924.94	22
	योग	1,06,72,820	2,78,360	2,665.59	1,562.88	2,142.40	2,379.45	8,750.32	

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.5

वर्ष 2010-14 की अवधि में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.6.2; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त कुल निधि	वर्ष के अन्तर्गत उपभोगित निधि	वर्ष में प्रेषित उपभोग प्रमाण-पत्र	लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्र
1.	2010-11	94.92	113.82	105.06	99.70
2.	2011-12	154.95	80.33	91.16	163.49
3.	2012-13	62.24	83.82	64.03	161.70
4.	2013-14	124.71	124.13	130.81	155.61

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.6

वर्ष 2010–14 की अवधि में भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.6.3, 2.3.8.1 से 2.3.8.5; पृष्ठ 68, 71, 72, 76, 78 एवं 80)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध धनराशि	घटक का नाम	भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा आवंटन	राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा आवंटन (प्रतिशत)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा अवमुक्त धनराशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
2010-11	87.32	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (30%)	26.20	28.97(111)	29.78	40.49
		शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (20%)	17.46	18.10(104)	19.98	26.24
		शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम (20%)	17.46	23.17(133)	21.11	7.41
		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (20%)	17.46	14.37(82)	16.91	23.12
		शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (10%)	8.73	4.00(46)	9.44	5.69
2011-12	142.56	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (30%)	42.77	59.54(139)	16.16	22.31
		शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (20%)	28.51	55.96(196)	15.64	16.96
		शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम (20%)	28.51	23.18(81)	0.08	4.02
		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (20%)	28.51	14.37(50)	40.88	20.96
		शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (10%)	14.26	4.00(28)	0.10	5.13
2012-13	57.26	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (40%)	22.90	62.50(273)	19.97	12.93
		शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (20%)	11.45	91.23(797)	25.63	39.90
		शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम (20%)	11.45	42.71(373)	11.61	5.62
		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (10%)	5.73	20.00(349)	15.58	15.13
		शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (10%)	5.73	10.00(175)	3.57	2.76
2013-14	124.71	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (50%)	62.36	62.33(100)	4.33	48.78
		शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (15%)	18.71	18.69(100)	14.52	28.85
		शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम (15%)	18.71	18.69(100)	13.14	7.92
		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (0%)	0.00	0.00	4.44	24.37
		शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (12%)	14.97	14.96(100)	9.90	10.71
2010-14	411.85	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण	154.23	213.34(138)	70.24	124.51
		शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम	76.13	183.98(242)	75.77	111.95
		शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम	76.13	107.75(142)	45.94	24.97
		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	51.7	48.74(94)	77.81	83.58
		शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क	43.69	32.96(75)	23.01	24.29

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण के अभिलेख)

टिप्पणी: वर्ष 2010–13 में पांच प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य व्यय और तीन प्रतिशत सूचना, शिक्षण एवं संचार की कटौती के पश्चात कुल उपलब्ध धनराशि।

परिशिष्ट 2.3.7

वर्ष 1997-2015 की अवधि में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत उपार्जित ब्याज का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.6.4; पृष्ठ 68)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (₹ लाख में)	केन्द्रीय (₹ लाख में)	राज्य (₹ लाख में)	कुल उपलब्ध धनराशि (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	अन्तिम अवशेष (₹ लाख में)	ब्याज 6 प्रतिशत की दर से (₹ लाख में)	ब्याज 3.5 प्रतिशत की दर से (₹ लाख में)	कुल ब्याज (₹ लाख में)	कुल ब्याज (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	1997-98	7,715.92	0.00	0.00	7,715.92	0.00	7,715.92	462.51	0.00	462.51	4.63
2.	1998-99	7,715.92	3,169.44	1,104.00	11,989.36	6,563.74	5,425.62	325.54	0.00	325.54	3.26
3.	1999-00	5,425.62	2,344.02	257.60	8,027.24	3,632.79	4,394.45	263.52	0.00	263.52	2.64
4.	2000-01	4,394.45	1,029.70	866.98	6,291.13	3,134.90	3,156.23	189.37	0.00	189.37	1.89
5.	2001-02	3,156.23	858.99	348.05	4,363.27	2,659.28	1,703.99	102.24	0.00	102.24	1.02
6.	2002-03	1,703.99	1,856.92	557.25	4,118.16	1,675.25	2,442.91	102.24	0.00	102.24	1.02
7.	2003-04	2,442.91	1,571.74	523.91	4,538.56	2,591.72	1,946.84	0.00	68.14	68.14	0.68
8.	2004-05	1,946.84	2,622.61	790.87	5,360.32	3,356.43	2,003.89	0.00	68.14	68.14	0.68
9.	2005-06	2,003.89	3,071.43	1,107.14	6,182.46	4,171.50	2,010.96	0.00	70.14	70.14	0.70
10.	2006-07	2,010.96	4,566.49	1,522.16	8,099.61	5,803.17	2,296.44	0.00	70.16	70.16	0.70
11.	2007-08	2,296.44	4,545.23	1,515.06	8,356.73	5,069.93	3,286.80	0.00	80.38	80.38	0.80
12.	2008-09	3,286.80	8,846.94	2,793.34	14,927.08	7,239.61	7,687.47	0.00	115.04	115.04	1.15
13.	2009-10	7,687.47	6,462.43	1,779.88	15,929.78	4,944.36	10,985.42	0.00	269.06	269.06	2.69
								1,445.42	741.06	2,186.48	21.86

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	ब्याज 4 प्रतिशत की दर से	अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि (3+5)	व्यय	अवशेष धनराशि	ब्याज 4 प्रतिशत की दर से (₹ करोड़ में)	कुल उपार्जित ब्याज (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.	2010-11	109.85	(अगस्त तक) 1.83	(अगस्त से फरवरी तक) 94.92	204.77	113.82	90.95	(सितम्बर से मार्च तक) 2.12	3.95
15.	2011-12	90.95	(अगस्त तक) 1.66	(अगस्त से फरवरी तक) 154.95	245.90	80.33	165.57	(सितम्बर से मार्च तक) 3.86	5.52
16.	2012-13	165.57	(अगस्त तक) 2.75	(अगस्त से फरवरी तक) 62.24	227.81	83.82	143.99	(सितम्बर से मार्च तक) 3.36	6.11
17.	2013-14	143.99	(अगस्त तक) 2.40	(अगस्त से फरवरी तक) 124.71	268.70	124.13	144.57	(सितम्बर से मार्च तक) 3.37	5.77
18.	2014-15	144.57	(दिसम्बर तक) 4.31	(दिसम्बर से 30 मार्च तक) 61.93	206.50	0.00	206.50	(जनवरी से मार्च तक) 2.07	6.38
									27.73

(स्रोत: राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के अभिलेख)

कुल उपार्जित ब्याज: ₹ 49.59 करोड़ (₹ 21.86 + ₹ 27.73)

31

परिशिष्ट 2.3.8

वर्ष 2010-14 की अवधि में शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क के अन्तर्गत अपात्र प्रशिक्षणार्थियों को किये गये भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.1; पृष्ठ 72)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
1.	अलीगढ़	अलीगढ़	800	17.76
2.	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर	40	0.89
		टांडा	40	0.89
3.	गाजियाबाद	डासना	80	1.78
			200	4.44
		फरीदनगर	40	0.89
		गाजियाबाद	320	7.10
		लोनी	160	3.55
			280	6.23
		मोदीनगर	160	3.55
			400	8.88
		मुरादनगर	160	3.55
		निवारी	40	0.89
			160	3.55
		पाटला	40	0.89
			160	3.55
		योग	3,080	68.39

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरण के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.9

शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने हेतु कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत 2010-14 की अवधि में निजी संस्थानों द्वारा कराये गये प्रशिक्षण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.2(i); पृष्ठ 73)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सम्मिलित निजी संस्थानों की संख्या	भुगतान की गयी धनराशि (₹ लाख में)	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या
1.	आगरा	13	563.19	11,386
2.	अलीगढ़	6	126.72	3,495
3.	अम्बेडकरनगर	1	29.66	867
4.	बहराइच	12	110.46	1,603
5.	चित्रकूट	4	21.70	633
6.	गाजियाबाद	13	286.28	7,430
7.	हरदोई	11	74.27	2,060
8.	सहारनपुर	34	296.89	3,370
9.	वाराणसी	11	102.95	2,743
	योग	105	1,612.12	33,587
				₹ 16.12 करोड़

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरण के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.10

शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने हेतु कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत 2010–14 की अवधि में भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.2(ii) एवं 2.3.8.2(vi); पृष्ठ 73 एवं 76)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौतिक (संख्या में)			वित्तीय (₹ लाख में)				
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	रोजगार/स्व–रोजगार प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	आगरा	14,808	11,576	0	136.45	602.02	738.47	733.33	5.14
2	अलीगढ़	8,043	5,695	2,293	79.53	304.96	384.49	306.65	77.84
3	अम्बेडकरनगर	1,724	313	577	16.07	75.47	91.54	56.26	35.28
4	बहराइच	2,451	1,603	1,186	28.36	109.19	137.55	113.72	23.83
5	बरेली	11,684	7,848	0	105.31	447.60	552.91	493.71	59.20
6	चित्रकूट	727	561	0	6.16	39.22	45.38	36.64	8.74
7	फतेहपुर	2,433	461	0	22.20	97.61	119.81	114.06	5.75
8	गाजियाबाद	14,866	7,660	1,010	129.42	609.85	739.27	508.68	230.59
9	गोरखपुर	6,799	4,347	0	56.23	507.20	563.43	439.06	124.37
10	हरदोई	3,918	2,060	503	37.75	125.26	163.01	156.16	6.85
11	झाँसी	5,469	275	1,133	50.17	140.73	190.90	190.90	0.00
12	कानपुर नगर	24,772	19,519	0	198.60	911.07	1109.67	1106.59	3.08
13	मऊ	3,090	1,986	0	32.51	114.77	147.28	142.18	5.10
14	मुरादाबाद	9,622	5,930	2,348	62.86	467.74	530.60	500.74	29.86
15	मुजफ्फरनगर	7,497	2,828	0	82.13	267.75	349.88	191.69	158.19
16	रायबरेली	3,701	1,552	507	25.63	106.18	131.81	124.91	6.90
17	सहारनपुर	7,040	4,048	855	67.58	323.01	390.59	337.61	52.98
18	सोनभद्र	2,287	1,739	0	19.91	78.38	98.29	56.30	41.99
19	वाराणसी	10,962	5,108	0	103.54	337.62	441.16	298.77	142.39
	कुल योग	1,41,893	85,109	10,412	1,260.41	5,665.63	6,926.04	5,907.96	1,018.08
									या ₹ 10.18 करोड़

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरण के अभिलेख)

टिप्पणी: लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि में 56,784 लाभार्थियों, 40 प्रतिशत (1,41,893 – 85,109 = 56,784) की कमी थी।

परिशिष्ट 2.3.11

वर्ष 2010-14 की अवधि में प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा किये गये उप-करारों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.2(iv); पृष्ठ 74)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष	प्रशिक्षण के लिए चयनित संस्थान	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	संस्थान जिसने उप-करार से प्रशिक्षण कराये	भुगतान (₹ लाख में)
1	अलीगढ़	2010-11	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड	50	बान्सन इन्स्टीट्यूट आफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी	1.97
		2011-12		75		3.37
		2010-11	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ	50	मानव उन्नयन सेवा संस्थान, लखनऊ	2.28
				25	विकलांग मन्द बुद्धि कल्याण समिति, अलीगढ़	1.14
				25	ग्राम नियोजन आश्रम, चारडा	1.14
2	गाजियाबाद	2011-12	उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोशिएसन लिमिटेड, लखनऊ	100	ध्रुव ज्योति सामाजिक संस्थान	5.70
		2011-12	उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोशिएसन लिमिटेड, लखनऊ	358	भारतीय महिला कल्याण एवं बाल विकास शोध संस्थान समिति, बागपत	24.70
				242	मयूर शिक्षा एवं कल्याण समिति, बागपत	16.70
		2013-14	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, इलाहाबाद	180	भारतीय महिला कल्याण एवं बाल विकास शोध संस्थान समिति, बागपत	8.10
3	सहारनपुर	2011-12	फ्यूचर रिफ्लेक्शन टेक्नालाजी, लखनऊ	600	सात संस्थायें	27.00
4	वाराणसी	2011-12	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	199	श्री बंशी सेवार्थ निकेतन, वाराणसी	6.97
	योग			1,904		99.07

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.12

वर्ष 2010-14 की अवधि में टूल-किटों से वंचित लाभार्थियों की संख्या का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.2(v); पृष्ठ 75)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध धनराशि (₹ लाख में)	प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें टूल किट दिया गया	टूल-किटों से वंचित लाभार्थियों की संख्या
1.	आगरा	34.14	11,576	3,977	7,599
2.	अलीगढ़	77.84	5,695	790	4,905
3.	अम्बेडकरनगर	35.28	867	507	360
4.	बहराइच	23.82	1,603	672	931
5.	चित्रकूट	8.74	561	130	431
6.	फतेहपुर	5.75	1,492	1,367	125
7.	गाजियाबाद	106.85	8,530	3,250	5,280
8.	गोरखपुर	124.37	5,949	5,605	344
9.	हरदोई	6.84	2,060	1,600	460
10.	मऊ	5.10	1,771	1,611	160
11.	मुजफ्फर नगर	158.19	2,678	1,400	1,278
12.	रायबरेली	6.90	1,552	1,327	225
13.	सहारनपुर	52.98	4,048	3,468	580
14.	वाराणसी	142.39	5,108	2,951	2,157
	कुल योग	789.19	53,490	28,655	24,835
					या ₹ 7.89 करोड़

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.13
वर्ष 2010-14 की अवधि में संस्थानों को अधिक भुगतान एवं उपलब्ध कराये गये टूल-किटों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.2(v); पृष्ठ 75)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अवधि	संस्थान का नाम	व्यवसाय का नाम	लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान (₹ लाख में)	टूल-किट की लागत
1.	आगरा	2010-11	वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड, गुड़गाँव	ब्यूटीशियन	35	1.93	0
					700	38.50	0
		2011-12	टैली सोल्यूशंस, नई दिल्ली	कम्प्यूटर			
		2012-13	आईएल एण्ड एफएस एजूकेशन, नोएडा	फिटर, फैशन डिजाइन, टेलरिंग इत्यादि	209	11.50	0
					1000	55.00	0
			एडु गुरु इण्डिया लिमिटेड	टैली			
					100	5.50	0
2.	अलीगढ़	2010-11	वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड, गुड़गांव	ब्यूटीशियन			
		2011-12	वीएलसीसी हेल्थ केयर लि0, गुड़गांव	ब्यूटीशियन	50	2.75	0
			उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	फ्रिज, मशीन चालक एवं फिटर/टर्नर/घरेलू उपकरण	75	1.13	0
			जी फोर एस सिक्योरिटीज लिमिटेड	सुरक्षा गार्ड	50	0.25	0
		2013-14	बोन्सन इन्सटीट्यूट आफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी	3 डी एनीमेशन प्रोडक्शन	500	4.50	0
			वी काल साफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	हेल्थकेयर एवं बहुउद्देशीय कार्य	50	0.45	0
					100	10.00	0
3.	सहारनपुर	2010-11	टैली साल्यूशन, नई दिल्ली	कम्प्यूटर			
		2012-13	आईएल एण्ड एफएस एजूकेशन, नोएडा	कम्प्यूटर एकाउंटिंग, घरेलू बीपीओ और अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रीशियन)	300	9.30	0
				योग	3,169	140.81	
4.	सहारनपुर	2010-12	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	कम्प्यूटर, सिलाई एवं फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रीशियन, सुरक्षा गार्ड	2,118	0	63.54

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)
टिप्पणी: प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय की सीमा ₹ 4,500
अधिक भुगतान: ₹ 10,000- 4,500 = ₹ 5,500
भुगतानित धनराशि: ₹ 3.17 करोड़ (3169 x ₹ 10,000)

परिशिष्ट 2.3.14
वर्ष 2010-14 की अवधि में मानदेय से वंचित लाभार्थियों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.2(v); पृष्ठ 75)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अवधि	प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या जिनको मानदेय नहीं दिया गया	अवशेष धनराशि (₹ लाख में)
1.	अलीगढ	2012-13	3,345	78.0
2.	चित्रकूट	2010-12	268	2.4
3.	मुरादाबाद	2013-14	2,910	29.8
4.	सहारनपुर	2010-14	530	52.9
	योग		7,053	163.3

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.15
वर्ष 2010–14 की अवधि में प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराये गये लाभार्थियों के मानदेय का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.2(v); पृष्ठ 75)

क्र० सं०	वर्ष	जनपद का नाम	संस्था का नाम	लाभार्थियों की संख्या	मानदेय की धनराशि (₹ लाख में)
1	2011-12	आगरा	1. मे0 ईडू गुरु इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	700	8.40
		योग		700	8.40
2	2011-12	बहराइच	1. पंचायत उद्योग, कैसरगंज	185	2.22
			2. जेनिथ महिला सामुदायिक विकास समिति	30	0.36
			3. आदर्श महिला सामुदायिक विकास समिति	50	0.60
			4. नारी उत्थान महिला सामुदायिक विकास समिति	40	0.48
		योग		305	3.66
3	2010-11	गाजियाबाद	1. राज इन्स्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर टेक्नालाजी	200	2.40
			2. ए–1 सिक्यूरिटी एवं सम्बद्ध सेवायें	150	1.80
			3. डायनेमिक सूचना तकनीकी संस्थान	400	4.80
			4. मार्क एकेडमी आफ फैशन एवं डिजाइन	500	12.00
			5. मयूर इन्फोटेक	500	12.00
			6. डायनेमिक सूचना तकनीकी संस्थान	500	12.00
			7. उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारिता संगठन लिमिटेड	100	1.20
			8. फ्यूचर रिफ्लेक्शन तकनीकी	150	3.60
		योग		2,500	49.80
4	2010-11	सहारनपुर	1. वीएलसीसी हेल्थकेयर, गुड़गांव	50	1.25
			2. सत्या शिक्षा प्रसार समिति	40	0.96
			3. आईएल एण्ड एफएस एजूकेशन	300	7.20
			4. अन्तर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग तकनीकी संस्थान	75	1.80
			5. टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	100	2.40
			6. डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	30	0.75
			7. मयूर इन्फोटेक कम्प्यूटर एजूकेशन	285	6.84
			8. हनी ग्रामीण विकास संस्थान	35	0.84
			9. रेनबो कम्प्यूटर एजुकेशन	80	2.00
			10. इन्टेलस सिक्यूरिटी एण्ड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	33	0.26
			11. फूड प्रोसेसिंग आफीसर	30	0.40
			12. शहीद भगत सिंह मातृभूमि सेवा संस्थान	30	0.75
			13. अन्तर्राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान	50	1.25
			14. भारत सेवा संस्थान	40	1.00
		योग		1,178	27.70
		महायोग		4,683	89.56

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.16

वर्ष 2010-14 की अवधि में शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.3; पृष्ठ 77)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (₹ लाख में)				
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
1	आगरा	1,638	1,674	87.22	454.93	542.15	521.85	20.30
2	अलीगढ़	1,003	549	47.20	337.68	384.88	379.87	5.01
3	अम्बेडकरनगर	205	152	7.68	76.80	84.48	73.37	11.11
4	बहराइच	292	229	27.15	85.65	112.80	112.05	0.75
5	बरेली	1,582	1017	7.84	457.04	464.88	464.27	0.61
6	चित्रकूट	86	138	2.26	21.12	23.38	23.38	0.00
7	फतेहपुर	280	197	14.79	86.46	101.25	101.25	0.00
8	गाजियाबाद	1,519	1,290	11.39	525.36	536.75	536.75	0.00
9	गोरखपुर	738	439	00.00	268.06	268.06	218.06	50.00
10	हरदोई	472	398	25.16	147.27	172.43	172.24	0.19
11	झाँसी	625	210	36.85	81.35	118.20	113.88	4.32
12	कानपुर नगर	2,761	1,766	91.10	632.42	723.52	714.91	8.61
13	मऊ	308	295	9.57	109.58	119.15	119.15	0.00
14	मुरादाबाद	1,091	973	36.02	345.58	381.60	381.60	0.00
15	मुजफ्फरनगर	806	415	54.75	238.66	293.41	284.50	8.91
16	रायबरेली	281	232	17.04	55.76	72.80	72.60	0.20
17	सहारनपुर	976	835	45.06	286.02	331.08	331.08	0.00
18	सोनभद्र	238	169	13.90	60.50	74.40	70.45	3.95
19	वाराणसी	1,252	930	0.53	436.57	437.10	437.10	0.00
	योग	16,153	11,908	535.51	4,706.81	5,242.32	5,128.36	113.96

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)
टिप्पणी: लक्ष्य से कम उपलब्धि 4,245 (16,153 – 11,908 = 4,245) थी, जो लाभार्थियों का 26 प्रतिशत थी।

परिशिष्ट 2.3.17

2010-14 की अवधि में शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अपात्र लाभार्थियों को अवमुक्त अनुदान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.3(i); पृष्ठ 77)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जाँच किये गये ऋण आवेदन पत्रों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों की संख्या (गरीबी रेखा के ऊपर की श्रेणी)	अपात्र लाभार्थियों को अवमुक्त अनुदान (₹ लाख में)
1.	अलीगढ़	79	77	18.68
2.	अम्बेडकरनगर	28	13	6.50
3.	बहराइच	23	14	6.75
4.	बरेली	75	16	8.00
5.	चित्रकूट	30	16	2.65
6.	गाजियाबाद	73	68	28.54
7.	गोरखपुर	54	43	21.50
8.	हरदोई	30	00	0.00
9.	कानपुर नगर	50	31	14.00
10.	मऊ	169	13	6.23
11.	मुरादाबाद	50	18	8.25
12.	रायबरेली	104	3	1.03
13.	सहारनपुर	60	40	17.30
14.	सोनभद्र	50	10	6.50
15.	वाराणसी	51	35	17.70
	योग	926	397	163.63 ₹ 1.64 करोड़

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.18

2010–14 की अवधि में शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.4(i); पृष्ठ 78)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (₹ लाख में)				
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	आगरा	3,079	2,676	86.85	(-) 2.50	84.35	25.99	58.36
2	अलीगढ़	1,255	1,230	51.79	94.88	146.67	94.17	52.50
3	अम्बेडकरनगर	368	205	9.93	20.42	30.35	10.41	19.94
4	बहराइच	594	765	18.06	30.14	48.20	25.79	22.41
5	बरेली	2,404	1,358	65.20	198.73	263.93	184.92	79.01
6	चित्रकूट	211	195	4.77	13.28	18.05	7.93	10.12
7	फतेहपुर	518	70	14.68	28.28	22.96*	9.06	13.90
8	गाजियाबाद	3,184	840	102.95	161.77	264.72	197.24	67.48
9	गोरखपुर	1,597	2,044	45.63	166.40	212.03	187.01	25.02
10	हरदोई	882	191	25.17	53.98	79.15	59.29	19.86
11	झाँसी	1,274	00	36.86	61.41	98.27	3.23	95.04
12	कानपुर नगर	5,459	3,218	160.40	297.36	457.76	443.61	14.15
13	मऊ	740	619	20.25	35.69	55.94	50.06	5.88
14	मुरादाबाद	2,044	625	41.91	91.42	133.33	117.96	15.37
15	मुजफ्फरनगर	1,485	637	54.74	83.70	138.44	106.55	31.89
16	रायबरेली	526	381	17.06	28.44	45.50	28.44	17.06
17	सहारनपुर	1,582	1,131	45.23	91.54	136.77	85.47	51.30
18	सोनभद्र	434	165	28.25	15.32	43.57	2.85	40.72
19	वाराणसी	2,530	1,795	58.39	236.74	295.13	294.61	0.52
	योग	30,166	18,145	888.12	1,707.00	2,575.12	1,934.59	640.53

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

टिप्पणी: लक्ष्य से कम उपलब्धि 12,021 (30,166 - 18,145 = 12,021) जो लाभार्थियों का 40 प्रतिशत थी।

*वर्ष 2012–13 की अवधि में जिला नगरीय विकास अभिकरण, फतेहपुर द्वारा ₹ 20.00 लाख शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम को स्थानान्तरित किया गया था।

परिशिष्ट 2.3.19
वर्ष 2010-14 की अवधि में शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपात्र समूहों को अवमुक्त अनुदान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.4(ii); पृष्ठ 79)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नमूना जाँच किये गये समूहों की संख्या	कुल सदस्य	अपात्र समूहों की संख्या	अपात्र समूहों में गरीबी रेखा के ऊपर के लाभार्थियों की संख्या	अपात्र समूहों को उपलब्ध कराया गया अनुदान (₹ लाख में)
1.	अलीगढ़	03	15	03	09	5.25
2.	अम्बेडकरनगर	07	36	06	18	8.84
3.	बरेली	36	180	01	5	3.00
4.	गाजियाबाद	06	30	05	18	14.80
5.	गोरखपुर	50	250	02	08	5.80
6.	झाँसी	01	05	01	01	2.10
7.	कानपुर नगर	18	90	08	26	19.05
8.	मऊ	09	45	03	09	7.66
9.	मुरादाबाद	40	200	20	66	42.23
10.	सहारनपुर	08	40	07	19	14.70
11.	वाराणसी	04	20	04	09	11.20
	योग	182	911	60	188	134.63

(स्रोतः जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.20
2010-14 की अवधि में शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपात्र समूहों को अवमुक्त अनुदान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.4(ii); पृष्ठ 79)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	समूहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	अवमुक्त अनुदान (₹ लाख में)
1.	आगरा	04	30	8.88
2.	बहराइच	04	40	5.79
3.	बरेली	24	120	55.23
4.	गोरखपुर	47	235	106.26
5.	मऊ	05	25	6.19
	योग	84	450	182.35

(स्रोतः जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख

परिशिष्ट 2.3.21

2010-14 की अवधि में शहरी महिला स्वयं-सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्रियाशील समूहों को अवमुक्त अनुदान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.4(iii); पृष्ठ 79)

क्र0 स0	जनपद का नाम	अक्रियाशील समूहों की संख्या	अनुदान की धनराशि (₹लाख में)
1.	बहराइच	06	1.50
2.	चित्रकूट	13	1.43
3.	गाजियाबाद	103	21.54
4.	झाँसी	02	0.40
5.	मुरादाबाद	14	2.88
6.	मुजफ्फरनगर	48	11.61
7.	रायबरेली	22	3.03
8.	सहारनपुर	98	19.55
9.	वाराणसी	140	27.51
	योग	446	89.45

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.22

वर्ष 2010-14 की अवधि में शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत समूहों को अधिक भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.4(iii); पृष्ठ 79)

क्र0 स0	जनपद का नाम	समूहों की संख्या	उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि	वास्तव में उपलब्ध करायी गयी धनराशि	उपलब्ध करायी गयी अधिक धनराशि (₹ लाख में)
1.	गोरखपुर	77	3.13	18.48	15.35
2.	हरदोई	04	0.56	0.84	0.28
3.	झाँसी	03	0.40	0.73	0.33
4.	मऊ	18	0.37	3.64	3.27
5.	मुरादाबाद	02	0.40	0.48	0.08
	योग	104	4.86	24.17	19.31

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.23

वर्ष 2010-14 की अवधि में लाभार्थियों की योग्यता सुनिश्चित किये बिना किये गये भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.4(iii); पृष्ठ 79)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	समूहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	आवर्ती निधि की धनराशि (₹ लाख में)
1.	आगरा	70	910	11.54
2.	अलीगढ़	81	1,185	14.13
3.	बहराइच	29	659	7.16
4.	बरेली	85	1,140	18.68
5.	चित्रकूट	13	143	1.43
7.	फतेहपुर	20	207	4.13
6.	गोरखपुर	123	1,739	25.83
8.	झाँसी	05	59	1.13
9.	मऊ	08	81	1.62
10.	सोनभद्र	03	30	0.60
11.	वाराणसी	237	2,706	47.97
	योग		8,859	134.22

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.24
वर्ष 2010–14 की अवधि में शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रम एवं सामग्री अनुपात का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.5(i); पृष्ठ 80)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्यों की संख्या	कार्य की कुल लागत	सामग्री लागत	श्रमिकों को भुगतान	सामग्री एवं श्रम का अनुपात
			(₹ लाख में)			
1	आगरा	02	34.40	29.21	5.19	85:15
2	अलीगढ़	08	57.36	44.94	12.42	78:22
3	अम्बेडकरनगर	18	107.90	97.40	10.50	90:10
4	बहराइच	24	119.26	101.83	17.43	85.15
5	बरेली	14	155.68	116.07	39.61	75:25
6	चित्रकूट	09	144.92	117.06	27.86	81:19
7	फतेहपुर	07	128.16	90.17	37.99	70:30
8	गाजियाबाद	22	149.38	114.48	34.90	77:23
9	गोरखपुर	11	72.92	65.45	7.47	90:10
10	हरदोई	46	187.46	155.70	31.76	83:17
11	झाँसी	16	45.45	34.68	10.77	76:24
12	कानपुर नगर	12	154.03	126.74	27.29	82:18
13	मऊ	09	62.91	50.30	12.61	80:20
14	मुरादाबाद	15	74.44	58.50	15.94	79:21
15	मुजफ्फरनगर	36	233.04	161.02	72.02	69:31
16	रायबरेली	05	29.25	21.03	8.22	72.28
17	सहारनपुर	36	188.64	129.61	59.03	69:31
18	सोनभद्र	11	48.25	44.41	3.84	92:08
19	वाराणसी	08	66.59	59.39	7.20	89:11
	योग	309	2,060.04	1,617.99	442.05	79:21

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.25

वर्ष 2010–14 की अवधि में शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.5(i); पृष्ठ 80)

क्र0 स0	जनपद का नाम	भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (₹ लाख में)				
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
1	आगरा	20,095	15,384	15.00	20.00	35.00	35.00	0.00
2	अलीगढ़	17,787	9,118	8.80	100.00	108.80	104.96	3.84
3	अम्बेडकरनगर	18,716	13,418	13.77	120.00	133.77	133.23	0.54
4	बहराइच	24,148	15,684	32.53	120.02	152.55	152.26	0.29
5	बरेली	42,119	30,074	10.00	219.18	229.18	229.18	0.00
6	चित्रकूट	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	0.00	155.04	155.04	154.66	0.38
7	फतेहपुर	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	24.66	115.00	139.66	139.32	0.34
8	गाजियाबाद	51,120	41,421	5.76	150.00	155.76	155.57	0.19
9	गोरखपुर	16,787	14,525	6.12	105.33	111.45	111.45	0.00
10	हरदोई	40,670	36,950	25.12	185.00	210.12	209.89	0.23
11	झाँसी	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	10.00	40.00	50.00	45.67	4.33
12	कानपुर नगर	16,633	19,701	26.87	134.17	161.04	161.04	0.00
13	मऊ	23,819	6,784	19.93	80.00	99.93	99.90	0.03
14	मुरादाबाद	53,360	39,235	40.00	130.00	170.00	168.62	1.38
15	मुजफ्फर नगर	86,268	52,671	36.40	325.00	361.40	344.60	16.80
16	रायबरेली	19,151	7,742	0.03	30.00	30.03	29.26	0.77
17	सहारनपुर	60,332	59,495	5.94	230.93	236.87	234.95	1.92
18	सोनभद्र	19,336	10,000	41.37	45.02	86.39	47.62	38.77
19	वाराणसी	20,686	18,540	45.98	25.00	70.98	70.98	0.00
		सकल योग	3,90,742	368.28	2,329.69	2,697.97	2,628.16	69.81

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

टिप्पणी: लक्ष्य से 1,40,285; (5,31,027 – 3,90,742 = 1,40,285) उपलब्धि कम थी जो कि 26 प्रतिशत थी।

परिशिष्ट 2.3.26
वर्ष 2010-14 की अवधि में सूचना, शिक्षा और संचार के अन्तर्गत अवमुक्त एवं उपयोग की गयी धनराशि का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.8.6; पृष्ठ 81)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	सूडा द्वारा अवमुक्त धनराशि	व्यय	अवशेष	निधि की वापसी
1.	आगरा	2010-14	0.00	0.04	0.00	0.04	0
2.	अलीगढ़	2011-14	0.00	0.40	0.09	0.31	0
3.	अम्बेडकरनगर	2010-14	0.00	0.55	0.07	0.48	0
4.	फतेहपुर	2010-14	0.00	0.30	0.30	0.00	0
5.	गाजियाबाद	2010-14	0.00	9.00	9.00	0.00	0
6.	गोरखपुर	2010-14	0.00	0.30	0.00	0.30	0
7.	हरदोई	2010-14	0.00	0.30	0.08	0.22	0
8.	झाँसी	2010-14	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
9.	मऊ	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10.	मुरादाबाद	2010-14	0.00	0.30	0.30	0.00	0
11.	रायबरेली	2010-14	0.00	0.30	0.04	0.26	0
12.	सहारनपुर	2010-14	0.00	0.30	0.30	0.00	0
13.	सोनभद्र	2010-14	0.00	0.30	0.30	0.00	0
14.	वाराणसी	2010-14	0.00	0.40	0.40	0.00	0
		योग		12.79	10.88	1.61	0.30

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.27
वर्ष 2014-15 की अवधि में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.9; पृष्ठ 81)

क्र0 सं0	घटक का नाम	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
			(संख्या में)	
1.	सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास	स्वयं-सहायता समूहों की संख्या	6,900	467
		आवर्ती निधि के लिए स्वयं-सहायता समूहों की संख्या	5,200	0
		शहरी आजीविका मिशन केन्द्रों की संख्या	82	0
2.	कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार	प्रशिक्षित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या	1,05,600	0
3.	स्व-रोजगार कार्यक्रम	एकल एवं सामूहिक उद्यमों में सदस्यों की संख्या	25,300	2,018
4.	शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय योजना	निर्मित आश्रयों की संख्या	51	0
5.	शहरी फेरी वाले विक्रेताओं को सहायता	फेरी वाले विक्रेताओं के सर्वेक्षण के लिए आच्छादित किये जाने वाले शहरों की संख्या	9	3
		फेरी वाले विक्रेताओं हेतु नियोजित शहरों की संख्या	5	0
6.	क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य मिशन प्रबन्ध इकाई में स्थापित किये जाने वाले विशेषज्ञों की संख्या	6	0
		नगर मिशन प्रबन्ध इकाई में स्थापित किये जाने वाले विशेषज्ञों की संख्या	198	0
		समुदाय आयोजकों को स्थापित किये जाने वाले की संख्या	474	0

(स्रोत: जिला नगरीय विकास अभिकरणों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.28
लेखापरीक्षा को अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.3.11; पृष्ठ 83)

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये गये अभिलेख	इकाई	अवधि
1.	सर्वेक्षण फार्मों की छपाई से सम्बन्धित पत्रावली	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2009-11
2.	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अभिलेख (₹ 29.83 लाख)	जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ	2010-11
3.	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अभिलेख (₹ 39.04 लाख)	जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोरखपुर	2010-12
4.	सूचना, शिक्षा और संचार के अन्तर्गत व्यय पत्रावली (₹ 295.50 लाख)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2010-15
5.	वर्षवार अंतिम लेखों की प्रतियाँ	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2010-15
6.	वर्षवार बैंक समाधान विवरण की प्रतियां	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2010-15
7.	जनपद वार राज्य में नगरीय गरीबों के रोजगार की स्थिति	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	1997 में स्थिति (योजना के प्रारम्भ में)
			2010 में स्थिति (निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि)
			2015 में स्थिति (योजना के पूर्ण होने पर).
8.	शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम (ऋण एवं अनुदान) और शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि) के अन्तर्गत लाभान्वित समूहों के क्रियाशीलता की स्थिति	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2010-15
9.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2010-15
10.	शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत टूल–किट क्रय एवं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड के चयन की पत्रावलियां	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2010-15
11.	शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों के चयन की पत्रावलियां	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2010-15
	अभिलेख जिनका रखरखाव नहीं किया गया		
1.	सम्पत्ति पंजिका	समस्त चयनित जनपद	2010-15
2.	अनुश्रवण आख्यायें	राज्य नगरीय विकास अभिकरण	2010-15
3.	गरीबी रेखा की नीचे वालों की जनसंख्या पंजिका	राज्य नगरीय विकास अभिकरण और सभी चयनित जनपद	2010-15
4.	भण्डार पंजिका	राज्य नगरीय विकास अभिकरण और सभी चयनित जनपद	2010-15